अधिकार और सम्मान:
जयपुर महिला घरेलू कामगार

शोध एवम तथ्य संग्रह : मेवा भारती
तथ्य विश्लेषण एवम रिपोर्ट लेखन : सुरभि टन्डन महरोत्रा

प्रकाशन जागोरी, 2008

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर
नई दिल्ली–110017
दूरभाष : 91–11–26691219, 26691220
टेली फेक्स : 91–11–26691221
ई–मेल : jagori@jagori.org
वेबसाइट : www.jagori.com

चित्र : मेवा भारती के सौजन्य से

मुद्रण : चौहान ग्राफिक्स

मुख पृष्ठ (चित्र) : शोध समूह के सदस्य कुछ घरेलु कामगारों के साथ

अधिकार और सम्मान:
जयपुर महिला घरेलू कामगार

शोध एवम तथ्य संग्रह : मेवा भारती
तथ्य विश्लेषण एवम रिपोर्ट लेखन : सुरभि टन्डन महरोत्रा

साभार

अल्पकालिक घरेलू कामगार महिलाओं के बारे में यह शोध अध्ययन जयपुर में अपनी तरह का पहला शोध अध्ययन है। इस अध्ययन कार्य के हेतु सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं जागोरी संस्था की आभारी हूं। उनकी सहायता के बिना यह शोध कार्य पूरा नहीं हो सकता था। इस शोध और रिपोर्ट लेखन में मार्गदर्शन के लिए मैं कल्याणी मेनन सेन, कल्पना विश्वनाथ, जागोरी की आभारी हूं।

मैं कविता श्रीवास्तव, पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़, जयपुर का धन्यवाद करना चाहती हूं, जो इस शोध कार्य में शुरूआत से ही जुड़ी रही हैं। मैं शोध कार्य में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रदीप मार्गव और मंजू, इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, जयपुर का धन्यवाद करती हूं। इस शोध कार्य में आंकड़े एकत्रित करने में बहुमूल्य योगदान के लिए मैं ज्योत्सना लाल व बूटीराम तथा शोध समूह के सदस्य– विमला, रवि, हरवेन्द्र और कनक परमार का भी धन्यवाद करती हूं। आंकड़े एकत्रित करने के दौरान शोध समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मैं उन्नति, हैदराबाद की भी आभारी हूं।

मेवा भारती

जागोरी - एक नज़र

जागोरी की शुरुआत 1984 में हुई थी। यह औरतों का प्रशिक्षण, संप्रेक्षण, डॉक्यूमंटेशन व संदर्भ केंद्र है। जागोरी व्यापक स्तर पर औरतों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने वाले अनेक मुद्दों जैसे सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक नीतियां, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम व नीति और औरतों पर होने वाली हिंसा पर काम करती है। जागोरी के मुख्य उद्देष्य हैं–

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों व बालिकाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चेतना जागृति लाना व संघर्ष करना।
- विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे समूहों के लिए सृजनात्मक पठन सामग्री व महत्वपूर्ण विषयों पर संप्रेक्षण सामग्री का प्रकाशन व वितरन करना।
- महिला समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं व विकास खण्ड की सूचना तथा विश्लेषण की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए औरतों के अधिकारों पर केंद्रित संदर्भ केंद्र का गठन करना।
- भारत में औरतों के दर्जे पर जानकारी प्रदान करना, मौजूदा सूचना स्रोतों का नारीवादी नज़रिए से विश्लेषण करते हुए महिला संबधी महत्वपूर्ण विषयों पर सकिय शोध कार्य करना।

जागोरी की शोध प्रकिया सहभागी और नारीवादी है। हम प्रभावित व पीड़ित लोगों के साथ मिलजुलकर उनके जीवन की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तथा समस्याओं के सार्थक समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। इन शोधों से उभरी जानकारी सामाजिक बदलाव का आधार भी बनती है जैसे–

- समुदायिक समस्याओं पर एकजुटता व संगठन की समझ बनाना।
- मुद्दे के प्रति नारीवादी नज़रिए के साथ सामाजिक सोच बढ़ाना।
- सकारात्मक सुझावों व सवालों के साथ उन कार्यक्षेत्रों एवं सरकार के साथ पैरवी करना।

पिछने दो वर्षों में अपने फ़ैलोशिप कार्यक्रम के तहत् अलग–अलग राज्यों में महिला आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं और नारीवादी संगठनों के साथ जुड़कर जागोरी ने महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्यक्रम चलाए हैं। मेवा भारती द्वारा किया गया यह अध्ययन इन्हीं में से एक है। यह अध्ययन राजस्थान के जयपुर इलाके में महिला घरेलू कामगार पर आधारित हैं।

प्रस्तावना: अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में घरेलू कामगार

हाल के वर्षों में आर्थिक नीतियों में आये बदलावों, ग्रामीण गरीबी और कंगाली तथा आजीविकाओं के तहस–नहस होने की वजह से शहरों की ओर लोगों का पलायन बढ़ा है। इसने भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदल दिया है। सबसे स्पष्ट बदलाव अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में देखा जा सकता है। अनौपचारिक क्षेत्र की बनावट में आया यह बदलाव न केवल बढ़ते हुए अवसरों की वजह से है बल्कि इसका संबंध इस बात से भी है कि अकुशल पुरुष कामगार अब अर्ध–कुशल और कुशल रोजगार पा रहे हैं। ये खाली हो गई अकुशल नौकरियां अत्यंत और भी गरीब पुरुषों और महिलाओं को प्राप्त हो रही हैं।

महिलाओं को मुख्यतः निम्न स्थानों में रोजगार पर पाया जा सकता है:

- सिले–सिलाए वस्त्रों (गार्मेंट) और इलैक्ट्रॉनिक सामानों की फैक्ट्रियां;
- गार्मेंट फैक्टरियों के लिए घर पर कार्य;
- घरेलू कार्य;
- निर्माण कार्य;
- सड़कों के किनारे लगे स्टॉल।

अनौपचारिक क्षेत्र में काम की स्थितियां अक्सर असंतोषजनक होती हैं और इन नौकरियों में रोजगार और लाभों की गारंटी नहीं होती। वेतन, कार्य–स्थितियां और काम के घंटे, अतिरिक्त काम के लिए भुगतान, छुट्टियों (साप्ताहिक या त्यौहार की), छुट्टी का ढांचे (उदाहरण के लिए आकस्मिक, वार्षिक, बीमारी या मातृत्व संबंधी अवकाश) और नौकरी की समाप्ति के बारे में फैसला लेने की कोई औपचारिक या मान्य पद्धति नहीं है। अधिकतर मामलों में इन बातों का फैसला एकतरफा तौर पर मालिक करता है। इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है कि महिलाओं को अपने कार्य के लिए निम्न भुगतान किया जाता है। एक मज़दूर के रूप में असुरक्षाओं का सामना करने के अलावा, महिलाओं के लिए स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब उन्हें हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस तरह के अपमान से बचने का एकमात्र रास्ता होता है – नौकरी छोड़ देना। पर इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार तमाम उत्पीड़न के बावजूद आर्थिक जरूरतों की वजह से महिला मजदूर नौकरी नहीं छोड़ पाती। इतना ही नहीं, ये अधिकतर महिला मजदूर प्रवासी समुदाय की होती हैं और जरूरी नहीं कि उत्पीड़न के विरुद्ध किसी भी रूप में मदद पाने के लिए उनके पास कोई सहायता प्रणाली हो। कई बार वे मालिक के सामने अपने मुद्दे उठाने के लिए उपलब्ध सहायता इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करतीं क्योंकि इस वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

इन परिवारों की जीवन स्थितियां, उनके बच्चों के लिए स्कूलों की सुलभता और चिकित्सा सुविधाओं की सुलभता की स्थिति भी काफी निराशाजनक है। अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि साफ पेय जल और उपयुक्त निकासी प्रणाली जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण न केवल उनके कष्ट बढ़ते

हैं, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। लंबी बीमारी की हालत में तो इन कामगारों को न केवल इलाज का खर्च उठाना पड़ता है बल्कि काम पर न जा पाने की वजह से नौकरी से हाथ भी धोना पड़ता है। अधिकतर महिलाओं को तिहरा बोझ उठाना पड़ता है, घर के बाहर का कार्य, घर के कामकाज और बच्चों का पालन–पोषण। इन असुरक्षाओं पर महिला घरेलू कामगारों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

जागोरी पिछले कई वर्षों से प्रवासी महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों को लेकर काम करती रही है। वर्ष 2002 में हमने राजस्थान और गुजरात में प्रवास की स्थिति और महिलाओं के कार्य–प्रतिमानों पर एक अध्ययन किया था। वर्ष 2003 में दिल्ली में पहली पीढ़ी की प्रवासी महिलाओं पर ''राइट्स एंड वल्नेरेबिलिटीज'' (अधिकार और असुरक्षाएं) शीर्षक से एक विस्तृत शोध अध्ययन किया गया जिसमें विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली में प्रवासन की प्रक्रिया और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्य के विभिन्न रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली में प्रवास के बाद के जीवन की छानबीन की गई है। इस अध्ययन में घरेलू कामगारों, फैक्ट्री कामगारों, कबाड़ का व्यवसाय करने वालों, स्व–रोजगार करने वालों, उजरती काम (पीस वर्क) करने वालों और गृह आधारित कार्य करने वाले कामगारों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस अध्ययन से यह पता चला कि घरेलू कामगारों की असुरक्षाएं अपने कार्य के सभी पहलुओं के संबंध में मोलतोल करने की शक्ति के अभाव से जन्म लेती हैं। ये पहलू हैं – वेतन के लिए मोलतोल की प्रक्रिया, छुट्टी के दिन, चायपान का समय, उपहार या बोनस आदि। इस अध्ययन से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम शहर में महिला घरेलू कामगारों की जीवन और कार्य–स्थितियों की और भी छानबीन करना चाहते थे। जयपुर से संबंधित यह संक्षिप्त अध्ययन हमारे इन्हीं सरोकारों का नतीजा है।

इसके अलावा, अक्सर ही अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। कुछ राज्यों में अब घरेलू मजदूर अपने अधिकारों की मांग करने के लिए संगठित होने लगे हैं। घरेलू कामगारों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के साथ–साथ यह अध्ययन अपने अधिकारों और उचित कार्य–स्थितियों की मांग उठाने के लिए घरेलू कामगारों को संगठित करने का पहला प्रयास भी है। इसका उद्देश्य कामगारों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए एक समूह का गठन करना, वेतनों के उपयुक्त निर्धारण की प्रकिया आरंभ करना, मजदूरियां न दिये जाने के मामलों और अन्य मुद्दों को मालिकों से बातचीत करके सुलझाना, कामगारों के कौशलों और कार्यक्षमता को बढ़ाना और कार्य को अधिक पेशेवर बनाना है।

महिला घरेलू कामगारों पर ध्यान केंद्रित करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछले दो दशकों में भारत में इन कामगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के आंकड़ों के अनुसार, जहां 1983 से 1999 के बीच पुरुष घरेलू कामगारों की संख्या 3 लाख बनी रही है, वहां इसी अवधि के दौरान महिला घरेलू कामगारों की संख्या 12 लाख से बढ़ कर 20 लाख हो गई है।[1] अध्ययनों से पता चलता है कि घरेलू कामगारों की मांग बढ़ रही है क्योंकि अधिकाधिक महिलाएं अब घर से बाहर काम पर जाती हैं। उनके घरेलू कामों में पुरुष मदद नहीं करते, क्योंकि कम पैसे में महिलाओं

1. संध्या आर्य और अनुपमा राय (सं.) पावर्टी, जेंडर एंड माइग्रेशन में रवीन्द्र कौर के लेख माइग्रेटिंग फार वर्क: रिराइटिंग जेंडर रिलेशंस में दिए अनुसार; नई दिल्ली, सेज।

का श्रम शहरी अर्थव्यवस्थाओं में आसानी से उपलब्ध हो जाता है।[2] घरेलू कार्य क्योंकि अकुशल कार्य है, अब बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू कामगारों के रूप में काम कर रही हैं। वे कम पैसे पर काम करने और निम्न दर्जे वाली नौकरियां करने को तैयार होती हैं। ये घरेलू कामगार महिलाएं झाड़ूपोछा, कपड़े धोने, बच्चों की देखभाल और कुछ मामलों में वृद्धों की देखभाल का काम करती हैं।

अध्ययनों से पता चलता है कि विभिन्न प्रवासी समूह जो काम करते हैं वह अक्सर उनके समुदाय और क्षेत्र की भिन्नताओं से तय होता है। कुछ मामलों में अपनी सामाजिक हैसियत के कारण महिलाएं अपने क्षेत्र में घरेलू कामगार का काम कर सकती हैं। राजस्थान जैसे कुछ स्थानों में घरेलू काम को सांस्कृतिक रूप से निम्न प्रकार का काम समझा जाता है और यहां के घरेलू कामगार इस बात को अपने परिवार वालों से खास कर गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों से छिपाते हैं।

इस अध्ययन में अंशकालिक घरेलू कामगारों के जीवन के विभिन्न आयामों की छानबीन की गई है, जैसे कि झोपड़पट्टियों में उनका, जीवन कार्यस्थितियां और काम के प्रति उनका रवैया। यह अध्ययन घरेलू कामगारों के दो अलग–अलग वर्गों – राजस्थानी और बंगाली घरेलू कामगारों – पर ध्यान केंद्रित करता है। राजस्थान के गांवों से परिवार पलायन करके जयपुर शहर में आ रहे हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे दूर–दराज के राज्यों से लोग भी काम की तलाश में पलायन करके यहां आते हैं। यह अध्ययन उनके बीच के अंतरों और तनावों की छानबीन भी करता है। इसमें से कुछ अंतर सर्वेक्षण के दौरान नजर आए जिन्हें बाद में केस स्टडीज और सघन समूह परिचर्चाओं में उठाया गया।

पलायन या प्रवास का सामान्य ढांचा

क्षेत्रकार्य के दौरान हमने पाया कि अपने परिवार के कुछ या सभी सदस्यों के साथ महिलाएं राजस्थान, बंगाल और कुछ बिहार के विभिन्न भागों से यहां आई हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह रिपोर्ट राजस्थानी और बंगाली महिला मजदूरों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह उल्लेखनीय है कि बहुत सी घरेलू महिला मजदूर पहली पीढ़ी की प्रवासी हैं। घरेलू मजदूरों के रूप में काम करने वाली कुछ महिलाओं का जन्म जयपुर में ही हुआ है।

राजस्थानी महिलाओं के पलायन का स्वरूप बंगाली महिलाओं से काफी अलग रहा है। इनमें से अधिकतर महिलाएं 6 से 30 वर्ष पहले काम की तलाश में जयपुर आईं थीं। उनके शहर में आने का मुख्य कारण ग्रामीण गरीबी थी। पलायन की यह प्रक्रिया, क्रमिक रूप में कुछ वर्षों के दौरान घटित हुई है। पहले पुरुष निर्माण उद्योग में काम के लिए प्रवास करते हैं। कई पुरुष निर्माण मजदूर इस शहर में अपने ही गांव के किसी निर्माण ठेकेदार के साथ आते हैं। जब उनका काम पक्का हो जाता है और उन्हें रहने की जगह मिल जाती है तब वे अपनी पत्नियों और बच्चों को भी शहर ले आते हैं। कुछ मामलों में अगर परिवार का कोई स्वस्थ सदस्य बच्चों की देखभाल करने की स्थिति में होता है तो वे बड़े बच्चों को गांव में ही पीछे छोड़ देते हैं।

शहर पहुंचने पर उन्हें परिवार के उन सदस्यों से सहायता मिलती है जो पहले ही गांव छोड़ कर यहां आ गए होते हैं। परिवार के सदस्य न हों तो गांव के लोग सहायता नेटवर्क का काम करते हैं। किंतु यह

---

2. अतिरिक्त विवरण के लिए देखिए कौर (2006) और नीता एन. 2004, मेकिंग ऑफ फीमेल ब्रैड विनर्सः माइग्रेशन एण्ड सोशल नेटवर्किंग ऑफ वीमेन डोमेस्टिक्स इन डेहली। इकनॉमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, XXXIX (17): 24–30 अप्रैल।

पाया गया है कि शहर पहुंचने के तत्काल बाद अधिकतर लोग कुछ समय तक परिवार के सदस्यों के साथ रहते है, न कि अपने गांव के जान पहचान वाले लोगों के साथ। पैसे की जरूरत होने के कारण बहुत सी महिलाएं पहले विकल्प के रूप में निर्माण स्थल पर मजदूरी काम ढूंढती हैं, पर क्योंकि निर्माण के क्षेत्र में काम मिलना अब उतना आसान नहीं रहा, इसलिए घरेलू काम उन्हें सबसे सही विकल्प लगता है। अधिकतर परिवार साल में एक–दो बार गांव जाते हैं, पर जिन महिलाओं के पास गांव में कुछ जमीन होती है या जो खेत मजूदरों के रूप में काम करती है, वे साल में दो–तीन बार गांव जाती हैं। हालांकि ये गांव में अपना संपर्क बनाये रखते हैं, पर इसमें से कई मकान खरीद कर शहर में ही बस जाते हैं।

जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि कई बच्चे जो गांव में ही पीछे छोड़ दिये जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हमें अध्ययन के एक अंग के रूप में किये गये एक सर्वेक्षण[3] से पता चलता है कि राजस्थानी घरेलू कामगारों के 96 प्रतिशत लड़के और 91 प्रतिशत लड़कियां (6–14 साल के) शहरों में भी स्कूल जाते हैं।

इन लड़कियों में से अधिकतर की शादी 14 वर्ष की आयु तक कर दी जाती है, हालांकि स्थानीय सांस्कृतिक तौर–तरीकों को ध्यान में रखते हुए वे कुछ और वर्षों तक अपने माता–पिता के साथ ही रहती हैं। कुछ मामलों में इन लड़कियों को परिवार द्वारा काम करने की इजाजत दी जाती है। अक्सर ही विधवा महिलाओं की लड़कियां उनकी मदद के लिए काम करती हैं। पर ये लड़कियां इस बात को छिपाती हैं कि वे सफाई का काम करती हैं (जिसे नीचा समझा जाता है)। वे दूसरों को यही बताती हैं कि वे बच्चों की देखभाल करती हैं। कई लड़के बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का व्यवसाय अपना लेते हैं।

यह भी देखा गया है कि जब बंगाली महिलाएं साल में दो–तीन बार बंगाल जाती हैं तो वापसी में वे अपने साथ अपने गांव की कुछ महिलाओं को लाती है जो घरेलू कामकाज के रूप में आजीविका कमाने के इरादे से उनके साथ आती हैं। जयपुर आने पर ये नई प्रवासी महिलाएं कुछ समय के लिए उन महिलाओं के साथ रहती हैं जो उन्हें लाई थीं। बहुत से बंगाली पुरुषों को रिक्शा चालकों का काम मिल जाता है, जबकि कुछ दूसरे निर्माण कामगारों, पेंटरों, फैक्ट्री कामगारों के रूप में काम करते हैं। पुरानी प्रवासी महिलाएं शुरू–शुरू में नई महिलाओं को अपने साथ काम पर ले जाती हैं ताकि उन्हें काम का अंदाजा हो जाए; और उसके बाद उन्हें काम ढूंढने में मदद करती हैं। कुछ अनुभव हो जाने के बाद उन्हें दूसरे काम मिल जाते हैं और वे अपने वेतनों के लिए मोलभाव कर लेती हैं।

बहुत से बंगाली दंपती अपने बच्चों को साथ में लाते हैं जबकि कुछ दूसरे जैसे कि राजस्थानी प्रवासी, बच्चों को घर के बड़े सदस्यों के साथ गांव में छोड़ देते हैं। बड़ी संख्या में बंगाली बच्चे स्कूल नहीं जाते।[4] सर्वेक्षण से पता चलता है कि केवल 47 प्रतिशत बंगाली लड़के और 51 प्रतिशत बंगाली लड़कियां (6–14 वर्ष के) स्कूल जाते हैं। इस संबंध में जब बंगाली महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने इस शोधकर्ता को बताया कि भाषा संबंधी भिन्नता की वजह से बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत आती है और घर पर न रहने के कारण बच्चों को स्कूल भेजने और उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना संभव नहीं हो पाता है। यह भी देखा गया कि लड़कियां 10 साल की उम्र से ही मां के साथ काम पर जाने लगती हैं। दो–एक साल में ही वे स्वतंत्र रूप में काम करने लगती हैं। इन लड़कियों की माँएं उनके लिए काम ढूंढती हैं और घर की मालकिन के साथ मोलभाव करके वेतन तय करती हैं। राजस्थानी लड़कियों के विपरीत ये लड़कियां यह नहीं छिपातीं वे

---

3. इस सर्वेक्षण के विवरण अगले भाग में दिये गये हैं।

4. अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के संयोजन के अनुसार अधिकतर महिलाएं निरक्षर हैं। हमें केवल दो बंगाली महिलाएं ऐसी मिली जिन्हें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त थी। इसे छोड़ दें तो बंगाल और राजस्थान की महिलाओं का शैक्षिक स्तर एक जैसा है।

क्या काम करती हैं। लड़के भी 15 साल के होते–होते निर्माण कामगारों, पेंटरों, या फैक्ट्री कामगारों के रूप में काम करने लगते हैं।

यह भी देखा गया कि बंगाली महिलाएं अपने घरों को काफी साफ–सुथरा रखती हैं और उनके बच्चे भी साफ–सुथरे नजर आते हैं। इस बात से और साथ ही यह तथ्य से भी कि वे विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, ऐसा लगता है कि राजस्थानी परिवारों की तुलना में उनका जीवन स्तर बेहतर है। लगभग सभी बंगाली महिलाओं का कहना था कि वे परिवार की आय का कुछ हिस्सा बचा लेती हैं, जिसे बच्चों की शिक्षा और विवाह पर खर्च किया जाता है। उनमें से कई जयपुर में मकान खरीदकर वहीं बस जाते हैं तथा कई अन्य ऐसा करने की आकांक्षा रखते हैं।

नमूना और पद्धति

इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 369 महिलाओं को शामिल किया गया। जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है इनमें से 177 राजस्थानी और 182 बंगाली महिलाएं हैं। बाकी दस अन्य राज्यों से हैं

तालिका 1: मूल्य राज्यों के अनुसार घरेलू कामगारों का विवरण

मूल राज्य	सं.	प्रतिशत
राजस्थान	177	48.0
पश्चिम बंगाल	182	49.3
आंध्र प्रदेश	1	0.3
बिहार	6	1.6
मध्य प्रदेश	1	0.3
उत्तर प्रदेश	2	0.5
कुल	369	100.0

तालिका 2: घरेलू कामगारों की आयु का विवरण (प्रतिशत)

आयु–समूह (वर्ष)	मूल राज्य		कुल
	राजस्थान	पश्चिम बंगाल	
11-18	18.6	17.6	18.1
19-25	17.5	24.7	21.2
26.30	16.4	20.9	18.7
31-40	29.9	24.7	27.3
41-50	8.5	8.8	8.6
50 से ऊपर	9.0	3.3	6.1
कुल	100.0	100.0	100.0
	177	182	359

इन तालिकाओं से यह बात विशेष तौर पर उभर कर आती है कि अधिकांश महिलाएं (85 प्रतिशत) 40 वर्ष से कम आयु की हैं, हालांकि मूल स्थान के हिसाब से अंतर दिखाई देते हैं। घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत महिलाओं में 19–25 वर्ष आयु समूह की युवा राजस्थानी महिलाओं का प्रतिशत (17.5 प्रतिशत) इसी आयु–वर्ग की बंगाली महिलाओं (24.7 प्रतिशत) की तुलना में कम है। इसका कारण दोनों समूह के बीच मौजूद सांस्कृतिक अंतर है क्योंकि राजस्थानी महिलाएं छोटी उम्र में ही विवाहित हो जाती हैं और मां बन जाती हैं। ये कारक 26–30 वर्ष आयु समूह में अंतर को भी स्पष्ट करते हैं।

इसके अलावा, 50 से अधिक आयु की राजस्थानी महिलाएं अभी भी घरेलू महिला कामगारों का 9 प्रतिशत है, जबकि इस आयु की घरेलू कामगार बंगाली महिलाएं मात्र 3.3 प्रतिशत हैं। इसके कारण पलायन या प्रवासन के ढांचे में देखे जा सकते हैं – अधिकतर प्रवासी बंगालियों ने हाल ही में प्रवास किया है और ऐसे प्रवासी समूह में अधिक उम्र के लोग कम ही होते हैं। किंतु कुछ अधिक उम्र की बंगाली महिलाओं ने जयपुर में तब प्रवास किया था जब वे युवा थीं और आज 50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी काम कर रही हैं। बंगाली महिलाओं के विपरीत, बड़ी संख्या में राजस्थानी महिलाएं जयपुर शहर की पुरानी प्रवासी हैं, यानी ये वे महिलाएं हैं जो छोटी आयु में ही जयपुर आकर काम करने लगी थीं, इसलिए उनमें काफी बड़ी संख्या में 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं शामिल हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों समूहों की इन बुजुर्ग महिलाओं में से कुछ विधवा हैं और अपना गुजारा चलाने के लिए अभी भी काम कर रही हैं।

यह अध्ययन अक्टूबर 2005 से सितंबर 2006 के बीच एक वर्ष की अवधि के दौरान किया गया था। जयपुर में बड़ी संख्या में झोपड़पट्टियां हैं (अलग–अलग अनुमानों के अनुसार 300 से 400 के बीच)। अध्ययन के लिए उन झोपड़पट्टियों को चुना गया जहां घरेलू कामगार महिलाएं अधिक संख्या में रहती हैं। इस अध्ययन के लिए शोध की परिमाणात्मक और गुणात्मक, दोनों पद्धतियों का उपयोग किया गया:

1. सर्वेक्षण – महिला घरेलू कामगारों के 369 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में परिवार की पृष्ठभूमि, मूल स्थान, घरेलू कामगारों के संबंध में सामान्य जानकारी, उनकी जीवन स्थितियों, उन्हें झोपड़पट्टियों में उपलब्ध सुविधाओं, उनकी कार्य स्थितियों और कार्य संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
2. सघन समूह परिचर्चाएं (एफजीडीज) – घरेलू कामगारों की समस्याओं को समझने के लिए समूह परिचर्चाएं की गईं। अलग–अलग बस्तियों में 10 ऐसी परिचर्चाएं की गईं जिनमें से प्रत्येक में 10–15 महिलाओं ने भाग लिया।
3. केस स्टडीज – गहन साक्षात्कारों के माध्यम से कुछ घरेलू कामगारों के विस्तृत अनुभवों की जानकारी एकत्रित की गई। इन साक्षात्कारों में इन महिलाओं की जीवन और कार्य स्थितियों के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जयपुर: सामान्य परिचय

जयपुर की कुल जनसंख्या 2,324,319 है जिसमें से 1,239,711 पुरुष और 1,084,608 महिलाएंहैं।[5] झोपड़पट्टियों की कुल जनसंख्या 368,570 है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग शहर की कुल आबादी का 15.09 प्रतिशत हैं। इनमें से 194,762 पुरुष और 173,808 महिलाएं हैं।[6]

5. http://www.censusindia.net/results/million_plus.html
6. http://www.censuindia.net/results/slums/slums-index.html

इन बस्तियों की स्थिति सब जगह एक जैसी नहीं है क्योंकि इन्हें उपलब्ध अवसंरचना और सुविधाओं में व्यापक अंतर है। कुछ बस्तियों में निकासी और सीवेज की अच्छी व्यवस्था है, जबकि कुछ अन्य बस्तियों में खुली नालियां है जो अक्सर एक बड़े नाले से जुड़ी होती हैं। नालियां ढकी हुई नहीं है और अक्सर यहां रहने वालों को इन नालियों के उपर से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में ये नाले भर जाते हैं और इनका पानी बह कर घरों में घुस जाता है।

बिजली, पानी की सप्लाई, स्कूल जैसे मुद्दे इन बस्तियों में रहने वालों और खास कर महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। महिलाओं को ही अक्सर घर के काम, बच्चों के पालन पोषण, घर के बाहर वेतनभोगी कामगार के रूप में कार्य का बोझ उठाना पड़ता है।

पृष्ठ 8 पर निम्नलिखित तालिका 3 में उन झोपड़पट्टी बस्तियों से संबंधित मुख्य जानकारियां दी गई हैं जिनसे इस अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र किये गये हैं:

बस्तियों में जीवन

इस अध्ययन के अंतर्गत आने वाले सभी कामगार बस्तियों या झोपड़पट्टियों में रहते हैं। अपने वर्तमान घरों में आने से पहले लगभग सभी परिवार अन्य चार–पांच बस्तियों में रहते थे। सर्वेक्षण से पता चलता है 19 प्रतिशत बंगाली महिलाओं की तुलना में 80 प्रतिशत राजस्थानी महिलाएं अपने घरों में रहती हैं। सर्वेक्षण का नमूना यह बताता है कि अधिकतर राजस्थानी परिवार शहर में स्थायी रूप से बस गये हैं। अधिकतर राजस्थानी प्रवासियों ने बंगाली प्रवासियों की तुलना में अधिक लंबा समय बिताया है। आवास के स्थायित्व का पता राशन कार्डों और मतदाता पहचान पत्रों से भी चलता है। 65 प्रतिशत बंगाली परिवारों की तुलना में 76 प्रतिशत राजस्थानी परिवारों के पास मतदाता पहचान पत्र है। उसी तरह 71 प्रतिशत बंगाली परिवारों की तुलना में 89 प्रतिशत राजस्थानी परिवारों के पास राशन कार्ड हैं।

उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति भी अलग–अलग बस्तियों में अलग–अलग है। कुछ बस्तियों में घरों तक पानी की आपूर्ति है, जबकि कुछ अन्य बस्तियों में सार्वजनिक स्थान पर या हैंड पंपों के माध्यम से पानी उपलब्ध होता है। पानी की आपूर्ति किस प्रकार की है यह उनके दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक स्थान से पानी भरने में काफी समय लगता है। लगभग 79 प्रतिशत राजस्थानी परिवारों और लगभग सभी बंगाली परिवारों (99.5 प्रतिशत) को घर पर पेय जल उपलब्ध होता है। इन महिलाओं की काफी बड़ी संख्या को घर पर शौचालय और स्नान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 9 प्रतिशत राजस्थानी महिलाओं की तुलना में 71 प्रतिशत बंगाली महिलाएं भोजन पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग करती हैं। सुविधाओं और भोजन पकाने की आधुनिक पद्धति से अवगत होने से उनका आत्म–विश्वास बढ़ता है और वे रोजगार के अधिक योग्य बनती हैं। इस पहलू पर इस रिपोर्ट में आगे विचार किया जाएगा।

यह सर्वेक्षण यह इंगित करता है कि बंगाली महिलाओं का जीवन स्तर राजस्थानी महिलाओं से बेहतर है। सर्वेक्षण का नमूना यह भी प्रतिबिंबित करता है कि बंगाली परिवार अपने संसाधनों का उपयोग अधिक सुविधा तथा स्वस्थ जीवन स्तर हासिल करने के लिए करते हैं। यहां यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण होगा कि काफी बड़ी संख्या में राजस्थानी परिवार बंगालियों से पहले ही यहां आ चुके थे और इसलिए वे पुरानी बस्तियों में रहते हैं जहां उपलब्ध सुविधाओं में सुधार नहीं किया गया है। बहुत से बंगाली प्रवासी नये मकानों में रहते हैं जहां पानी और शौचालय की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किंतु कई बंगाली,

तालिका 3

क्र. सं.	बस्ती का नाम	कानूनी/गैर कानूनी	स्थापित के वर्ष लगभग	पेय जल की सुलभता	बिजली कनेक्शन	शौचालयों की सुलभता	सीवेज व्यवस्था
1	सुशीलपुरा	कानूनी	1970	हैंड पंप	सभी घरों में कनेक्शन	शौचालय बहुत कम घरों में, अधिकतर खुले में जाते हैं	कोई नहीं। इस क्षेत्र से एकनाला बहता है
2	ज्योति नगर	कानूनी	1990	अधिकतर घरों में कनेक्शन	सभी घरों में कनेक्शन	शौचालय बहुत कम घरों में, अधिकतर खुले में जाते हैं	कार्य प्रगति पर
3	बाबा रामदेव नगर	दिया गया सर्वे नम्बर	1982	हैंड पंप और टैंकर	ज्यादातर घरों में कनेक्शन	शौचालय बहुत कम घरों में, अन्य खुले में जाते हैं	कोई नहीं
4	विद्याधर नगर	कानूनी	1982	सभी घरों में कनेक्शन लगे हैं	सभी घरों में कनेक्शन हैं	शौचालय बहुत कम घरों में, अन्य खुले में जाते हैं	कोई नहीं
5	रायगढ़ बस्ती	गैर–कानूनी	1945	सभी घरों में कनेक्शन लगे हैं	सभी घरों में कनेक्शन लगे हैं	शौचालय बहुत कम घरों में, अन्य खुले में जाते हैं	खुले नाले वाले सीवर
6	हथौरी	दिया गया सर्वे नम्बर	1970	कुछ घरों में कनेक्शन कुछ में हैंड पंप	सभी घरों में कनेक्शन	ज्यादातर घरों में शौचालय। अन्य खुले में जाते हैं	कोई भी खुला नाला नहीं।
7	कठपुतली नगर	दिया गया	1965	ज्यादातर घरों में कनेक्शन हैं	ज्यादातर घरों में कनेक्शन हैं	कुछ घरों में शौचालय है, अन्य खुले में जाते हैं	कोई भी खुला नाला नहीं।
8	फौजी नगर	दिया गया सर्वे नम्बर	1980	क्षेत्र में केवल एक हैंड पंप है	ज्यादातर घरों में कनेक्शन है	शौचालय कुछ घरों में है। बाकी खुले में जाते हैं	कोई भी खुला नाला नहीं। बहुत गहरा नाला एक तरफ है।
9	सीतारामपुरा	दिया गया सर्वे नम्बर	1930	सभी घरों में कनेक्शन है	सभी घरों में कनेक्शन है	शौचालय कुछ घरों में है, बाकी खुले में जाते हैं	कोई भी खुला नाला नहीं है।
10	संजय नगर	कानूनी	1970	आधे घरों में ही कनेक्शन और हैंड पंप है।	सभी घरों में कनेक्शन है।	ज्यादातर घरों में शौचालय है, बाकी खुले में जाते हैं	कार्य प्रगति पर है। ढके और खुला नाला है
11	प्रेम नगर	कानूनी	1970	सभी घरों में कनेक्शन है और हैंड पंप है।	सभी घरों में कनेक्शन है	शौचालय ज्यादातर घरों में है, अन्य सार्वजनिक में जाते हैं	पक्की नालियों वाला सीविर

प्रभुत्वकारी समूह और मकान मालिक	किरायेदार	पुरुषों का पेशा	महिलाओं का पेशा	घरेलू कार्य करने कैसे जाते हैं
बंगाली – अधिकांश मकान मालिक	बंगाली	निर्माण मजदूर, एक्सपोर्ट हाउस में काम, कबाड़ी वाला, सड़क के किनारे स्टाल चलाना, ठेले पर सामान बेचना, गार्ड	घर पर सिलाई	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	बंगाली	दिहाड़ी मजदूर, कूड़ा बीनना, रिक्शा चलाना	एक्सपोर्ट हाउस का काम	पैदल
अधिकतर बंगाली और कुछ राजस्थानी	राजस्थानी और बंगाली	दिहाड़ी मजदूर, फल बेचना, सब्जी बेचना, सेल्स मैन	घरेलू कामगार	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	ज्यादातर राजस्थानी, बहुत कम बंगाली	दिहाड़ी मजदूर, निर्माण मजदूर, फैक्ट्री मजदूर और कबाड़ी वाला	फैक्ट्री मजदूर, छोटा स्टाल चलाना	पैदल
राजस्थानी – अपने घर। कुछ बंगाली अपने घर	बंगाली	दिहाड़ी मजदूर, ग्लास फैक्ट्री मजदूर, लेंटिल मिल मजदूर	घरेलू कामगार	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	राजस्थानी	दिहाड़ी मजदूर, आटो रिक्शा ड्राइवर	फैक्ट्री मजदूर, छोटा स्टाल चलाना	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	कुछ बंगाली	कठपुतली का नाच दिखाना, दिहाड़ी मजदूर, झाड़ू लगाना	घरेलू कामगार	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	कुछ बंगाली	निर्माण मजदूर, टैक्सी ड्राइवर, रद्दी बीनना, रसोइये का काम, मूर्ति बनाना	एक्सपोर्ट हाउस के काम	पैदल/बस
राजस्थानी – अपने घर	ज्यादातर राजस्थानी, बहुत कम बंगाली	निर्माण मजदूर, ठेले पर सामान बेचना, कबाड़ी वाला	घर पर सिलाई, एक्सपोर्ट हाउस में काम	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	ज्यादातर राजस्थानी, बहुत कम बंगाली	निर्माण मजदूर, एक्सपोर्ट हाउस में काम, कबाड़ी वाला, स्टाल चलाना, ठेले पर बर्तन बेचना, गार्ड का काम	घर पर पीस रेट पर काम	पैदल
राजस्थानी – अपने घर	ज्यादातर राजस्थानी, बहुत कम बंगाली	निर्माण मजदूर, पेंटर फैक्ट्री मजदूर, कबाड़ी वाला, प्रैसवाला, ठेले पर सामान बेचना	कुली, एक्सपोर्ट हाउस में काम घर पर पीस रेट पर काम	पैदल

और विशेषकर नये प्रवासी बंगाली मकानों पर पैसा नहीं लगाते क्योंकि वे गांव पैसा भेजते हैं और उनमें से कुछ तो पर्याप्त बचत करने के बाद अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। नगर में स्थायी रूप से बसने की प्रकिया में न केवल नौकरी ढूंढना और मकान बनाना शामिल है, बल्कि इसके लिए राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज प्राप्त करना भी जरूरी है। यह पाया गया कि पिछले दो एक वर्षों में प्रवासित हुए परिवारों में से अधिकतर के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।

इस सबका मतलब है अपने घर के ठीक सामने बहते हुए नाले के साथ गंदगी के बीच रहना। सभी गरीब लोग ऐसी गंदगी में नहीं रहते, पर मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि दूर जाने का मतलब है अधिक पैसा। मेरे दैनिक संघर्ष का सबसे बड़ा हिस्सा है पानी...

तालिका 4 : बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने वाले कामगारों का प्रतिशत

	मूल राज्य		
मकान	**राजस्थान**	**बंगाल**	**कुल**
अपना	79.7	19.2	49
शौचालय की सुविधा			
घर पर	76.3	98.4	87.5
बस्ती में	1.1		0.6
उपलब्ध नही	22.6	1.6	12.0
घर पर उपलब्ध	78.5	99.5	89.1
बस्ती में सार्वजनिक नल	20.3	0.5	10.3
उपलब्ध नहीं है	1.1	-	0.6
नहाने की सुविधा			
घर पर	88.7	99.5	94.2
बस्ती में	10.2	0.5	5.3
उपलब्ध नहीं है	1.1	-	0.6
खाना किस पर पकाया जाता है			
एलपीजी	8.5	70.9	40.1
स्टोव	9.6	20.3	15.0
चूल्हा	81.9	8.8	44.8

एक घरेलू कामगार के रूप में जिंदगी

पृष्ठभूमि

यह रिपोर्ट, जैसा कि हम उल्लेख करते आए हैं कि जयपुर शहर में घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत दो सबसे बड़े क्षेत्रीय समूहों – राजस्थानियों और बंगालियों पर ध्यान केंद्रित करती है। अधिकतर राजस्थानी महिलाएं यहां राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं और उन्होंने पहले निर्माण कामगारों के रूप में काम किया

है। पति के साथ निर्माण उद्योग में काम करना सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होता है। आम तौर पर वे यह काम छोड़कर घरेलू काम तब करती हैं जब वे मजदूरिन के रूप में कमरतोड़ मेहनत करने में सक्षम नहीं रह जातीं या जब उन्हें काम नहीं मिल पाता। उनमें से बहुत सी महिलाएं अपने विस्तारित परिवारों और खास कर गांवों में रहने वाले परिवार के सदस्यों से इस बात को छिपाती हैं कि वे घरेलू कामगार हैं। पर हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल से घरेलू कामगारों के बड़ी संख्या में यहां आने से उनके रोजगार के लिए खतरा पैदा हुआ है।

पश्चिम बंगाल की महिलाओं के, जो कि अधिकतर अपने पतियों के साथ यहां आई हैं, जयपुर प्रवास करने का एकमात्र उद्देश्य है आजीविका कमाना और कठिन मेहनत करके जितना हो सके पैसा कमाना। उनमें से कई नई भाषा और संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने की भरसक कोशिश करती हैं। राजस्थानी महिलाओं के विपरीत, बंगाली महिला कामगार काम के लिए घर से जल्दी निकल जाती हैं और इस तरह अधिक घरों में काम कर पाती हैं।

वे नई बातें सीखने के लिए तैयार रहती हैं और राजस्थानी महिला कामगारों की तुलना में अपने मालिकों के तौर तरीकों को जल्दी से अपना लेती हैं। उनकी बेटियां भी अक्सर उनके साथ काम पर जाती हैं और छोटी उम्र से ही घरेलू कामगार के रूप में काम करने लगती हैं।

बहुत कम राजस्थानी परिवार ऐसे हैं जो अपनी छोटी लड़कियों से घरेलू कामगार का काम कराते हैं – अगर कुछ मामलों में ऐसा होता भी है तो लड़कियां अपनी मां के साथ ही काम करती हैं, अकेली नहीं। इसके अलावा, सघन समूह परिचर्चाओं के दौरान यह बात भी उभर का सामने आई कि राजस्थानी लड़कियां घरेलू कामगार नहीं बनना चाहतीं, बल्कि वे किसी ब्यूटी पार्लर में या शिक्षक सहायिका के रूप में काम करना या सिलाई का काम करना पसंद करती है। राजस्थानी महिलाओं के अनुसार इन पेशों में पैसा चाहे उतना नहीं है, पर सम्मान तो है।

सघन समूह परिचर्चाओं के दौरान यह बात भी उभर कर सामने आई कि कई राजस्थानी काममगार महिलाएं क्षेत्र में प्रचलित मजदूरी की दरों को लेकर अन्य काममगारों से बात नहीं करतीं और अक्सर उन्हें कम भुगतान प्राप्त होता है; या फिर वे उंची मजदूरी मांगती है जो कोई भी मालिक देने को तैयार नहीं होता। इसका संबंध इस बात से हो सकता है कि वे अपने पेशे के बारे में दूसरों को बताने से हिचकिचाती हैं जिसकी वजह से उन्हें बाजार की दरों की जानकारी नहीं हो पाती। राजस्थानी काममगारों के विपरीत, बंगाली घरेलू कामगार महिलाएं अपने काम के बारे में खुल कर बात करती हैं और अन्य काममगारों के साथ बातचीत करने के बाद ही मजदूरी की मांग रखती है।

यह पाया गया है कि राजस्थानी और बंगाली घरेलू महिला कामगारों के कार्य संबंधी तौर–तरीके भी अलग–अलग हैं। राजस्थानी महिलाएं पहले अपना घर साफ करती हैं, नहाती हैं, परिवार के लिए खाना बनाती हैं और फिर सुबह 8 बजे या उसके बाद काम पर निकलती हैं। इसके विपरीत, बंगाली महिलाएं जल्दी उठ जाती हैं, हल्का फुल्का खाना बना कर सुबह साढ़े छह–सात बजे काम पर निकल जाती हैं। वे घर की सफाई, खाना बनाने और नहाने का काम दोपहर में आकर करती हैं। कुछ मामलों में बंगाली महिलाओं के पति रसोई के काम में उनकी मदद करते हैं। इन सभी कारणों से बंगाली महिलाएं राजस्थानी महिलाओं की तुलना में अधिक घरों में काम कर पाती हैं। उनका कहना है कि इतनी दूर से उनके यहां आने का कारण पैसा कमाना है और इसका फायदा तभी है जब वे कड़ी मेहनत करके पर्याप्त पैसा कमाएं। जैसा कि लगभग 30 वर्षीय अंजली का जो छह वर्ष पहले यहां आई थी – कहना है:

हम अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन की तलाश में यहां आये क्योंकि गांव में और उसके आसपास आजीविका कमाना कठिन था। इतनी दूर से मैं यहां आई हूं, तो इसलिए मैं जितना हो सकेगा काम करूंगी। मैं घर पर आराम से बैठे नहीं रह सकती। इतने घरों में काम करने में मुझे कोई मजा थोड़े ही आता है, पर यह मेरी जरूरत है। मुझे परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है और घर की सफाई भी करनी पड़ती है। पति मदद करते हैं पर ज्यादातर काम मैं ही करती हूं, मेरा दिन बहुत थकान भरा होता है।

साक्षात्कारों और सघन समूह परिचर्चाओं से यह संकेत मिलता है कि अब अधिकतर लोग बंगाली महिला कामगारों को ही पसंद करते हैं क्योंकि राजस्थानी महिलाएं समय की पाबंद नहीं होतीं और धीरे–धीरे काम करती हैं। इसके विपरीत बंगाली महिलाएं समय की पाबंद होती हैं और मालकिन के साथ बातों में समय न गंवा कर चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। उनके बात करने का ढंग सांस्कृतिक रूप से अलग है जिसे राजस्थानी कामगारों की तुलना में जो – कुछ रूखे ढंग से बोलती है – नम्र माना जाता है।

यह भी देखा गया कि कई राजस्थानी घरेलू कामगार महिलाएं बंगाली महिलाओं के जीवन के कुछ पहलुओं की आलोचना करती हैं – खास इस बात की कि वे सुबह नहाये बिना ही घर से निकलती हैं और बाथरूम साफ करने से मना नहीं करतीं। पर उनमें से कुछ का मानना है कि बंगाली कामगार कम समय में काम निबटा देती हैं और उनके काम में सफाई अधिक होती है। कुछ राजस्थानी महिलाओं को खासकर युवा महिलाओं को इस तनाव पर बात करना पसंद नहीं क्योंकि कुछ घरेलू कामगार बंगाली लड़कियों से उनकी दोस्ती है। उदाहरण के लिए 20 वर्षीय राजस्थानी घरेलू कामगार, गीता का कहना है कि वह दोनों समूहों के बीच मौजूद अनेक अंतरों से अवगत है, पर वह इन बातों में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि कई बंगाली लड़कियां उसकी मित्र हैं।

काम सीखना

घरेलू कामकाज सीखने के कई अलग–अलग तरीके हैं – कुछ छोटी लड़कियां अपनी माताओं की मदद करती हैं और इस तरह काम सीख लेती हैं, कुछ को रोजगार पर रखने वाले प्रशिक्षित करते हैं और कुछ अन्य कुछ दिन दूसरे कामगारों के काम में हिस्सा बंटाती हैं और फिर स्वतंत्र रूप से काम करने लग जाती हैं। कामगार महिला कितनी जल्दी काम सीखती है यह इस बात पर निर्भर है कि उसमें सीखने की लगन कितनी है और मालकिन द्वारा उन्हें सिखाने का तरीका क्या है? अधिकतर मामलों में नई कामगार काम सीखने तक स्वीकृत दरों से कुछ कम मजदूरी पर काम करती हैं।

उसकी कामकाजी स्थितियां और मजदूरी कितनी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कामगार और काम पर रखनेवाले के बीच मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति की मोलभाव की क्षमता कितनी है। अधिकतर मामलों में मध्यस्थ भी कोई महिला कामगार ही होती है। कुछ मामलों में मध्यस्थ कामगार का संबंधी और परिचित भी हो सकता है।

राजस्थानी मूल की 40 वर्षीय कांतिबाई जयपुर में एक बच्ची के रूप में अपनी घरेलू कामगार मां के साथ काम पर जाया करती थी। शादी के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। पर कुछ वर्ष बाद वित्तीय कठिनाइयों के चलते उसने घरेलू कामगार के रूप में फिर से काम करना शुरू कर दिया। उसे यह मुश्किल नहीं लगा क्योंकि वह काम के बारे में जानती थी। अपनी मां के संपर्कों के जरिये उसे काम मिल गया।

दूसरी ओर, जिसने घरेलू कामगार के रूप में पहले कभी काम नहीं किया उसे काम सीखने के लिए रोजगार पर रखने वाले पर निर्भर रहना पड़ता है। अंजली, जिसका पहले जिक्र हो चुका है, पहले किसी परिवार के घर पर रहकर काम करती थी, जबकि उसका पति और बच्चे पड़ोस की बस्ती में रहते थे। तब उसके पास यही एक विकल्प था। हालांकि परिवार से अलग रहना असुविधाजनक था, पर उसने इस घर में लगभग दो साल काम किया क्योंकि वे लोग उसे अच्छी मजदूरी देते थे और उसके बच्चों के लिए कुछ पुराने कपड़े और खानेपीने का सामान भी देते थे। जब उसे विश्वास हो गया कि वह अपने बूते पर काम ढूंढ सकती है तो उसने यह घर छोड़ दिया। 35 वर्षीय राजस्थानी घरेलू कामगार, मंगला देवी को उसके पड़ोसी के जरिये काम मिला। जिस पहले घर में वह काम करती थी, वहां उसने काम सीखा पर जैसा कि ऐसे अधिकतर मामलों में होता है उसे सामान्य से कम मजदूरी मिलती थी। विश्वास बढ़ने के बाद उसने दो और घरों का काम ढूंढ लिया।

काम ढूंढना और चुनना

जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, ये महिलाएं शुरू में तो किसी के माध्यम से काम ढूंढती हैं, पर कुछ समय बाद वे परिचय का अपना एक व्यापक तानाबाना बना लेती हैं। सर्वेक्षण में पता चलता है कि अधिकतर घरेलू महिला कामगारों को अन्य घरेलू कामगारों के माध्यम से काम मिलता है – 66 प्रतिशत राजस्थानी महिला कामगारों और 98 प्रतिशत बंगाली महिला कामगारों को दूसरे कामगारों के जरिये काम मिलता है। इन महिलाओं के साथ किये गये साक्षात्कारों से यह भी पता चला कि वे अपने ही राज्य की महिला कामगारों से मदद मांगती हैं। बंगाली महिलाओं के विपरीत जिनका अपना पारिवारिक दायरा जयपुर में इतना बड़ा नहीं है, कुछ राजथानी महिलाएं अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी मदद मांगती हैं। इससे स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि राजथानी महिलाओं के परिचय का दायरा ज्यादा बड़ा है क्योंकि उनमें से ज्यादातर इस शहर में लंबे समय से रही हैं और उन्होंने आस–पड़ोस में संबंध विकसित कर लिये हैं।

इसी से संबंधित हैं वे कारक जो कार्यस्थल के चयन को प्रभावित करते हैं। यह सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि सभी घरेलू महिला कामगार काम के घरों को चुनने के लिए एक ही तरह के मानदण्ड अपनाती हैं। अधिकतर महिलाओं का कहना था कि वे बड़े परिवारों में काम करना पसंद नहीं करतीं। अगर उन्हें अच्छा पैसा मिलता है तभी वे काम करती हैं। उनमें से कुछ बड़े परिवारों में तभी काम करती हैं जब उन्हें दूसरे घरों में कोई काम नहीं मिलता या जब उनके कार्य के दौरान परिवार का आकार बढ़ जाता है (उदाहरण के लिए शादी होने पर)। कुछ मामलों में घरेलू कामगारों को विशेष कर बड़े घरों में लंबे समय से काम करने वाली राजस्थानी महिला घरेलू कामगारों को, मालिकों के परिवार से सम्मान प्राप्त होता है। कुछ ऐसी भी हैं जो ज्यादा पैसा लेकर बड़े परिवारों में काम करती हैं।

ये महिला कामगार ज्यादातर ऐसे घर चुनती हैं जहां वे पैदल जा सकें, हालांकि कुछ महिला कामगार बसों से भी जाती हैं। कुछ मामलों में महिला कामगार, परिवार के दूसरे स्थल पर चले जाने के बाद भी वहीं काम करती रहती हैं, बशर्ते की आने–जाने की लागत मालिक का परिवार दे। कई घरेलू महिला कामगार कुछ खास क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घर में काम करना ही पसंद करती हैं। यह पसंद व्यक्तिगत है। कुछ महिला कामगारों का कहना था कि वे मारवाड़ी परिवारों के लिए काम करती हैं और उन्हें यहां काम करना इसलिए पंसद है कि वे उनके जीवन के तौर तरीकों से परिचित हो चुकी हैं। कुछ अन्य का कहना था कि वे पंजाबी लोगों के घरों में काम करना पसंद नहीं करतीं क्योंकि उनके बात करने का तरीका

अच्छा नहीं होता। कुछ सिंधी परिवारों के साथ इसलिए काम नहीं करतीं कि उनकी भाषा ही उन्हें समझ नहीं आती।

बड़े पैमाने पर बंगाली कामगारों के आने से घरेलू कार्य के बाजार में बदलाव आया है और कई परिवार अब बंगाली महिला कामगारों को ही काम पर रखना चाहते हैं। कुछ राजस्थानी महिला कामगार खुल कर यह कहती हैं कि जयपुर में बंगाली महिलाओं के बड़ी संख्या में आने से काम की कमी हो गई है। उदाहरण के लिए, 18 वर्षों से काम कर रही 45 वर्षीय घरेलू महिला कामगार, सावित्री का कहना है:

पहले काम आसानी से मिल जाता था। हम अपनी सही मजदूरी के लिए मनवा लेते थे। पर अब बंगालिनों के आने से हालत बदल गई है। हमारे लिए काम की कमी हो गई है।

कई महिला कामगारों का कहना था कि छोटे परिवार जिनमें पति–पत्नी और बच्चे होते हैं अब बंगाली महिलाओं को ही काम पर रखते हैं क्योंकि उनकी यह सोच है कि बंगाली महिलाएं उनके निर्देशों को समझ लेती हैं खासकर रसोई के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में। साथ ही, राजस्थानी महिलाओं की तुलना में तेजी से काम करती है।

कार्य की अवधि और गुणवत्ता

साक्षात्कारों से यह बात उभर कर सामने आई है कि घरेलू कामगार अपने कार्य में स्थायित्व चाहते हैं। आम तौर पर वे एक ही नौकरी पर बने रहना चाहते हैं जब तक उनके काम का बोझ अत्यधिक नहीं हो जाता या जब तक उन्हें उत्पीड़ित नहीं किया जाता। अनुपस्थित होने या बीमार होने पर उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा विशेष कर तब होता है जब नियोक्ता को कम वेतन पर कोई और कामगार मिल जाता है। यह पाया गया कि कुछ महिला मजदूर एक ही मालिक के लिए लंबे समय तक काम करते रहते हैं। एक ही घर में लंबे समय तक काम कर रही बंगाली और राजस्थानी कामगार महिलाओं में इस संबंध में कोई अंतर नहीं पाया गया। 21 प्रतिशत घरेलू कामगार महिलाएं उसी घर में 4–6 वर्षों से काम कर रही हैं और 22 प्रतिशत 7–20 वर्षों से काम कर रही हैं।

अगर कार्य–स्थितियां ठीक–ठाक हों तो घरेलू कामगार एक ही घर में लंबे समय तक काम करना चाहती हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कुछ मामलों में घरेलू कामगार एक ही घर में काम करते रहते हैं चाहे परिवार दूसरे स्थान पर क्यों न चला जाए। कुछ महिला कामगार अपनी माताओं के साथ घर में काम करती हैं और आगे भी काम करना जारी रखती हैं।

उदाहरण के लिए 20 वर्षीय राजस्थानी महिला गीता दस साल की उम्र से उन तीनों घरों से काम कर रही हैं जिनमें वह पहले किया करती थी। उसको इन्हीं परिवारों में काम करना पसंद है क्योंकि उसके अनुसार वह अन्य परिवारों के बारे में नहीं जानती।

औसतन, राजस्थानी महिलाएं 5.5 घंटे व्यतीत करते हुए 2.4 घरों में और बंगाली महिलाएं 7.2 घंटों से भी अधिक व्यतीत करते हुए 4.1 घरों में काम करती हैं। ये आंकड़े यही दर्शाते हैं कि औसतन बंगाली महिलाएं न केवल काम में ज्यादा समय लगाती हैं, बल्कि वे ज्यादा घरों में भी काम करती हैं।

सभी महिला काममगारों का कहना था कि उनसे कोई भुगतान किये बिना अतिरिक्त काम कराया जाता है। घर में जब मेहमान आते हैं या जब त्यौहार आते हैं तब उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर महिला काममगार अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे की मांग करती हैं तो उस पर भृकुटियां तानी जाती हैं; और कभी–कभी तो हालत यह हो जाती है कि उसे काम से निकाल दिया जाता है। सावित्री (जिसका जिक्र हम पहले कर आए हैं) का कहना था कि होली और दिवाली के मौके पर उनसे कुछ ज्यादा काम कराया जाता है। उसके शब्दों में:

मालकिन कहती है: "बाई मैंने ये साड़ी ज्यादा नहीं पहनी। तू इसे ले जा। यह महंगी और सुंदर है"। वह यह बात इस तरह कहती है जैसे मुझ पर अहसान कर रही हो। होली की तरह दिवाली में भी सफाई करनी पड़ती है। दरवाजों, खिड़कियों, पर्दों की और रसोई की खूब सफाई होती है। फिर वह 150 रु. की साड़ी देती है जबकि हम उसके लिए 500 रु. का काम कर चुके होते हैं।

एक अन्य बंगाली घरेलू काममगार महिला 30 वर्षीय ममता ने बताया कि दिवाली पर उसे जो साड़ी दी गई थी, उसके बदले उसके पैसे काट लिये गये। उसने कहा कि ऐसी कुछ घटनाओं के बाद "मैं मालकिन से कोई आशा नहीं रखती।" 30 वर्षीय बंगाली काममगार महिला, सोनाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मालकिन ने त्यौहार के दौरान उससे पूरा घर ढंग से साफ करने को कहा। जब उसने पैसे की मांग की तो उसने जो साड़ी दी है वह इसी काम के बदले में है।

"देखिये, कपड़े के उस छोटे से टुकड़ी के बदले में उसने मुझसे कितना काम कराया ... वह बहुत चालाक है। ये बड़े लोग इतना पैसा बचा कर और गरीबों का हक छीन कर क्या करेंगे। आखिर मौत आने पर जलना तो हमें एक ही लकड़ी में है।"

उसी प्रकार, सावित्री का कहना था कि मालिक लोग जरा भी हमारा आभार नहीं मानते।

जब भी मैं कोई अतिरिक्त काम करती हूं वह जरा भी आभार नहीं मानती। उल्टे कहती है – "मैंने तुझे कपड़े दिये हैं, और क्या चाहिए तुझे? तूने ढेर सारा काम तो नहीं किया, थोड़ा अलग से काम कर दिया तो क्या हुआ।"

कई मालकिनें घरेलू काममगारों से नियमित रूप से अतिरिक्त काम करवाती हैं। अंजली का कहना है कि उसकी मालकिन उससे अतिरिक्त काम कराती ही रहती है।

"वह कहती है – बाई अगर मैंने तुझसे कुछ ज्यादा काम करने को कह दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुझे अपने हाथ थोड़ा और तेजी से चलाने हैं।" कुछ मालकिनें तो जरा भी ढंग से बात नहीं करती। एक औरत ने मुझसे कहा – "जरा मेरे बालों में तेल डाल दे और सिर पर मालिश कर दे। और हां, पिछली रात की बची सब्जी ले जाना। यहां उसे कोई नहीं खाएगा, पर तेरे बच्चे खा लेंगे।"

सभी घरेलू काममगारों के लिए – चाहे वे राजस्थानी हों या बंगाली – काम की स्थितियां काफी महत्व रखती हैं। जब महिला काममगार काम करना शुरू करती हैं तब उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, पर धीरे–धीरे अपने अनुभव से और दूसरी घरेलू काममगारों के साथ बातचीत द्वारा वे इसके बारे में जान लेती हैं।

कार्य स्थितियां

हालांकि अधिकतर महिला कामगार अपनी मालकिनों की आलोचना करती हैं, पर कुछ ने यह भी बताया कि उनकी मालकिनें उनके साथ अच्छी तरह पेश आती हैं। कुछ तो बीमार होने पर उन्हें दवा देती हैं और अपने घर में ही कुछ देर आराम करने के लिए कहती हैं। कुछ मालकिनें शादी–ब्याह के मौके पर छुट्टी और उपहार भी देती हैं। बड़ी उम्र की मालकिनें अक्सर घरेलू कामगारों के साथ बात करना पसंद करती हैं। हाल ही में यहां आई कुछ बंगाली महिला कामगारों को उनकी भाषा का ज्ञान न होने के कारण उनसे बात करने में दिक्कत आती है। दूसरी ओर कई मालकिनें बीमारी में भी महिला कामगारों से काम करवाती हैं और शादी–ब्याह के मौके पर लंबी छुट्टी नहीं देतीं।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि हालांकि सभी घरेलू कामगारों के कार्य–स्थल की विशेषताएं एक जैसी हैं, पर राजस्थानी और बंगाली महिलाओं के बीच कुछ मामलों में अंतर पाया गया है।

बंगाली महिलाएं अक्सर काम के मुद्दों के बारे में अपनी मालकिनों से बात करती हैं, जबकि केवल थोड़ी सी राजस्थानी महिलाएं ही ऐसा करती हैं। उदाहरण के लिए, उनमें से कुछ ने अपनी मालकिनों से कहा है कि वे जब धोने के लिए बर्तन रखती हैं तो उनमें बचाखुचा खाना निकाल कर रखा करें इससे उसे धोने में कम पानी खर्च होगा।

इसी तरह कुछ बंगाली महिला काममगारों का विचार था कि वे राजस्थानी महिलाओं की तुलना में बेहतर काम करती हैं और इसलिए उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है। यह इस बात से जाहिर होता है कि उन्हें खाने को अच्छा खाना दिया जाता है और वे उन्हीं कपों में चाय पीती हैं जिन कपों में घर के लोग पीते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कांच के बर्तन टूट जाने पर उनके वेतनों में कटौती की जाती है, बंगाली महिलाओं का कहना था कि वे तो ध्यान से काम करती हैं पर उन्होंने अपनी मालकिनों को यह कहते हुए सुना है कि राजस्थानी महिलाएं ध्यान से काम नहीं करतीं और उनसे ज्यादा बर्तन टूटते हैं। बंगाली महिला कामगार बाथरुम की सफाई भी कर लेती हैं पर राजस्थानी महिला कामगार यह काम नहीं करतीं क्योंकि उनके अनुसार यह नीची जात वालों का काम होता है। कुछ महिला कामगारों को सफाई के दौरान बाथरूमों का उपयोग करने की इजाजत होती है।

एक घरेलू कामगार सोनाली का कहना था कि एक बार उसने बाथरूम का उपयोग किया तो मालकिन ने उसे खूब डांटा–फटकारा। दूसरी महिला कामगार, सावित्री ने एक बार अपनी मालकिन से पूछा कि क्या वह बाथरूम का इस्तेमाल कर सकती है तो उसे मना कर दिया गया। उसकी मालकिन को इससे कोई सरोकार नहीं कि वह सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करने बाहर जाये या खुले में जाये। ममता ने हंसते हुए बताया कि उसकी मालकिन ने एक बार उससे कहा कि वह घर से ही शौच आदि करके निकला करे। पर अंजली उन थोड़ी सी महिला कामगारों में से है जिन्हें बाथरूम का इस्तेमाल करने की इजाजत है, पर उन्हें इस्तेमाल के बाद बाथरूम को ढंग से धोना पड़ता है।

अधिकतर घरों में चाय–नाश्ता देने का कोई नियमित रिवाज नहीं है। कुछ घरों में नियमित रूप से चाय दी जाती है जबकि कुछ अन्य घरों में सर्दी के महीनों में या कामगार के अस्वस्थ होने पर या उससे अतिरिक्त काम कराने पर ही चाय दी जाती है। कुछ महिला कामगारों का कहना था कि मालकिन उससे चाय के लिए पूछती है और अगर वो हां कहती है तो अपने और उसके दोनों के लिए चाय बनाने को

कहती है। कुछ कामगारों का कहना था कि मालकिन उनसे चाय बनाने के लिए तभी कहती है जब उसे खुद चाय पीनी होती है।

तालिका 5: कार्य वातावरण की विशेषताएं (प्रतिशत कामगार)

विशेषताएं	मूल राज्य		
	राजस्थान	पश्चिम बंगाल	कुल
बर्तनों में जूठन	92.0	91.2	91.6
मालकिन जूठन निकाल देती है	68.8	79.1	74.0
वयस्क सम्मान के साथ बोलते हैं	100	100	100
बच्चे सम्मान के साथ बोलते हैं	97.1	100	98.6
कार्यस्थल पर पेय जल मिलता है	97.2	100	98.0
कार्यस्थल पर शौचालय की सुविधा है	77.4	98.9	88.3
रोज कुछ खाने को दिया जाता है	74.0	82.4	78.3
मालिक लोग जो खाते हैं वही देते हैं	74.9	84.9	79.9
कामगार को बचाखुचा खाना मिलता है	6.3	1.3	3.7
कामगार के लिए अलग बर्तन है	82.7	74.3	78.4
कामगार की पिटाई	1.7	-	0.8
कामगार का उत्पीड़न	0.6	-	0.3
टूट–फूट होने पर पैसे काट लेते हैं	9.1	0.5	4.6
मालकिन शहर में न हो तो तनख्वाह काट लेते हैं	80.2	97.3	88.9

त्यौहार के दौरान उपहार विवाद का एक अन्य विषय है। सभी महिला कामगारों को होली पर मिठाइयां और दिवाली पर साड़ी मिलती है। पर अधिकतर कामगारों का कहना था कि उन्हें बची–खुची और बासी मिठाइयां दी जाती हैं। दिवाली पर कुछ को तो नई साड़ी मिलती है पर कुछ को पुरानी साड़ी दी जाती है। साक्षात्कार और सघन समूह परिचर्चाओं में भाग लेने वाली लगभग सभी महिला

कामगारों का कहना था कि उन्हें दी जाने वाली साड़ियां सौ–डेढ़ सौ रुपए तक की होती है। कुछ ने कहा कि साड़ी की कीमत उनके वेतन से काट ली जाती है। लगभग सभी घरेलू कामगार महिलाओं ने इस बात की ओर इंगित किया कि उपहार का कोई खास मायने नहीं होता क्योंकि इसके बदले में त्यौहारों के मौके पर उनसे ज्यादा काम लिया जाता है।

मजदूरी और वेतन–वृद्धि

उनके काम के दूसरे पहलुओं की तरह ही मजदूरी निर्धारित करने का कोई मानदण्ड नहीं है। मजदूरी घरेलू कामगार द्वारा मोल–भाव के बाद तय करती है और यह काफी कुछ कामगार की मोलभाव की ताकत पर और इसकी पैसे की जरूरत पर निर्भर करती है। विभिन्न रिहायशी इलाकों के अनुसार मजदूरियां अलग–अलग होती हैं। उच्च मध्यवर्गीय, मध्यवर्गीय और ऊंची बहुमंजिली इमारतों वाले क्षेत्रों में मजदूरियां अधिक और निम्न मध्यवर्गीय इलाकों में कम मिलती हैं। कुछ महिला कामगार तब अधिक उच्च मजदूरी की मांग करने लगती हैं जब वे पाती हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जहां घर की मालकिन कामकाजी महिला हो तब ऐसा अधिक होता है। इसके अलावा मजदूरियां घर के मालिक या मालकिन की सद्भावना पर भी निर्भर करती हैं।

इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि बंगाली महिलाओं की औसत मजदूरियां राजस्थानी महिलाओं से अधिक हैं। औसतन एक राजस्थानी महिला कामगार 1002 रु. प्रति माह कमाती है, जबकि बंगाली महिला 1672 रु. प्रति माह तक कमा लेती हैं। जैसा कि हम पहले उल्लेख कर आये हैं औसत बंगाली महिला कामगार, राजस्थानी महिला कामगार की तुलना में बेहतर काम करती हैं। मजदूरियां 150 रु. से लेकर 2000 रुपए प्रतिमाह तक हैं और काम की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। हाल ही में आई बंगाली महिला कामगार कम पैसे पर भी काम कर लेती हैं क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए यह जरूरी होता है।

वेतन वृद्धि मनमाने तौर पर की जाती है। सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल कामगारों में से 4 प्रतिशत की मजदूरी में ही वृद्धि हुई है। सभी घरेलू कामगार महिलाओं ने साक्षात्कार के दौरान इस मुद्दे को उठाया। सावित्री का कहना था कि जब भी वह मजदूरी बढ़ाने की बात करती है, मालकिन का टका सा जवाब होता है – "मैं इतना ही दे सकती हूं। अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो मुझे कोई दूसरी मिल जाएगी।" सावित्री ने यह भी बताया कि उसका परिवार उसकी कमाई से चलता है, इसलिए वह इन घरों में काम करना छोड़ नहीं सकती। एक अन्य घरेलू कामगार सोनाली ने बताया कि वह पिछले पांच साल से उसी मजदूरी पर काम कर रही है। एक बार उसने मजदूरी बढ़ाने की मांग की, पर उसकी बात को मालकिन ने हंसी में उड़ा दिया। तब से आज तक पैसा बढ़ाने की बात उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अंजली का कहना था कि मजदूरी बढ़ाने की बात पर मालकिन ने उसकी जगह दूसरी काम वाली रखने की धमकी दी। वह एक ही घर में पिछले पांच सालों से काम कर रही है, पर उसका वेतन नहीं बढ़ा।

घरेलू कामगारों की मजदूरी एक घर में 3–5 साल काम करने के बाद ही बढ़ाई जाती है। बीस वर्षीय गीता दस वर्ष की उम्र से उन्हीं तीन घरों में काम करती रही है। इन घरों में अपने दस साल के काम के दौरान दो बार उसका वेतन सौ–सौ रुपए बढ़ाया गया। इसी तरह मंगला देवी की मजदूरी भी पांच साल काम करने के बाद बढ़ाई गई। दूसरी ओर सोनाली की मजदूरी पांच वर्षों में कुल 50 रुपए बढ़ी है।

वेतन के अलावा छुट्टी का मुद्दा भी घरेलू कामगारों के जीवन में सर्वाधिक विवाद का मुद्दा है।

अवकाश और छुट्टियां

इस अध्ययन में शामिल सभी घरेलू कामगारों ने इस तथ्य की ओर इंगित किया कि अवकाश और छुट्टियों की समस्या उनकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। कुछ कामगार नया काम पकड़ते समय महीने में दो दिन के तो कुछ दूसरे कामगार चार दिन के अवकाश की मांग करते हैं। कुछ मालिक एक दिन की छुट्टी करने पर भी मजदूरी काट लेते हैं। दूसरी ओर कई मालिक शुरू में तय की गई छुट्टियों से अधिक छुट्टियां लेने पर भी मजदूरियां नहीं काटते। जैसा कि सभी मामलों में होता है, यह मुद्दा भी घर की मालकिन या मालिक द्वारा मजदूर के साथ बिना अधिक परामर्श किये, एकतरफा तौर पर तय किया जाता है।

तालिका 6: छुट्टी लेना और संबंधित स्थितियां

	मूल राज्य		
	राजस्थान	पश्चिम बंगाल	कुल
औसत दिनों की संख्या	1.4	2.9	2.2
अधिकतम	4	5	5
न्यूनतम	0	0	0
बीमार होने पर जितने कामगारों को छुट्टी मिलती है उनका प्रतिशत	91	100	95.3
काम पर न आने पर जितने कामगारों का वेतन कटता है उनका प्रतिशत	24.9	14.3	96.4

औसतन बंगाली महिला कामगार महिलाएं अधिक छुट्टियां करती हैं और काम से अनुपस्थित होने पर कम महिलाओं के वेतनों में कटौती होती है। उच्चतर मजदूरियों को प्रतिबिंबित करने वाले आंकड़ों के साथ ये आंकड़े यह संकेत देते हैं कि राजस्थानी कामगारों की तुलना में बंगाली कामगारों को अधिक पसंद किया जाता है।

कांताबाई महीने में चार दिन की छुट्टी करती है और उसका वेतन तभी काटा जाता है जब वह इससे अधिक छुट्टियां करती है। उधर सावित्री का कहना है कि उसे छुट्टी ही नहीं दी जाती। उसी तरह सोनाली का कहना है कि जब भी वह अपनी मालकिन से एक दिन की छुट्टी मांगती है तब उसे समझाया जाता है कि घर का काम दफ्तर के काम की तरह नहीं होता। "जब घर में कभी काम नहीं रुकता, तब तुम कैसे काम रोक सकती हो। छुट्टी करने पर मैं तुम्हारी मजदूरी काट लूंगी।"

अधिक घरों के लोग यह अपेक्षा करते हैं कि घरेलू महिला कामगार बीमारी में भी कुछ–कुछ काम करती रहेगी। जैसा कि 30 वर्षीय बंगाली घरेलू कामगार का कहना है, उसकी मालकिन अपेक्षा करती है कि बीमारी में भी वह कम से कम बर्तन साफ करने तो आ ही जाएगी। मालकिनों की इस तरह की मांग के बारे में अनेक महिला कामगारों ने बताया।

अधिकतर महिला कामगारों का अनुभव यह रहा है कि अगर वे ज्यादा दिन तक काम पर नहीं आतीं तो उनकी जगह पर कोई दूसरी कामवाली रख ली जाती है। परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर भी कई लोग छुट्टी देने से इनकार कर देते हैं। उदाहरण के लिए लाखी देवी – जो एक 55 वर्षीय राजस्थानी घरेलू कामगार है – का कहना है कि अपनी बेटी की मौत के समय उसे बहुत ही कड़ुवे अनुभव से गुजरना पड़ा था। उसने अपनी मालकिन को कहला भेजा था कि वह 15 दिन काम पर नहीं आयेगी। जब वह काम पर लौटी तो मालकिन ने उसे काम पर रखने से मना कर दिया यह कह कर कि उसे पांच दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी और इसीलिए उसने एक नई नौकरानी रख ली है।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण और साक्षात्कारों से प्राप्त जानकारी यह दर्शाती है कि घरेलू कार्य काफी असंगठित और अनौपचारिक है। इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि नियोक्ता यानी काम पर रखने वाले परिवारों और घरेलू महिला कामगारों के बीच का संबंध सामंती किस्म का संबंध है। अध्ययन से पता चलता है कि मजदूरियों के निर्धारण, कार्यस्थितियों, छुट्टियों (साप्ताहिक या त्यौहार की छुट्टी), अवकाश ढांचे (उदाहरण के लिए आकस्मिक, वार्षिक, बीमारी या मातृत्व छुट्टी) के संबंध में कोई निर्धारित मानदण्ड यहां मौजूद नहीं है। घरेलू कामगार या डोमेस्टिक वर्कर शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया जाता, इसके स्थान पर मेड, नौकरानी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अपनी वर्तमान अवस्था में यह दो पक्षों के बीच कोई अनुबंध या समझौता नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक संबंध है जिसमें अपनी बात मनवाने (मोलभाव करने) या निगोशिएट करने की क्षमता केवल मालिकों के पास है।

दूसरे, कार्यस्थल घर होता है। इससे कामगार की असुरक्षा बढ़ जाती है। वैसे देखा जाय तो घर कोई औपचारिक कार्यस्थल नहीं है, और क्योंकि ये औरतें कई घरों में काम करती हैं, इसलिए वे अपने अधिकारों या हकों की मांग मुश्किल से ही कर पाती हैं।

यह अध्ययन जयपुर में महिला कामगारों को संगठित करने और उन्हें अपने कार्य की शर्तों के लिए तैयार करने की दिशा में पहला कदम है। घरेलू कामगार तभी अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे, उनके लिए दबाव डाल पाएंगे जब उनके कार्य को कार्य के दायरे में लाया जाएगा और एक समझौते या अनुबंध के रूप में देखा जाएगा।

घरेलू कामगारों के अनुभव: कुछ केस स्टडीज

गहन साक्षात्कारों में निम्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया:

1. घरेलू मजदूर शहर में कब आई और यहां आने से पहले उसकी जीवन स्थितियां क्या थीं।
2. शहर में मौजूद जीवन–स्थितियों पर संक्षिप्त विचार विमर्श।
3. काम का फैसला और उसका कार्य संबंधी जीवन।
4. उन्हें काम दिलाने वाला तानाबाना।
5. कार्य संबंधी वातावरण, कार्य दिवस, वेतन के लिए वार्ता, इन मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ, मालकिन का व्यवहार, छुट्टी और वेतन में कटौती।
6. घरेलू मजदूर के सरोकार के मुद्दे जैसे कि रोजगार की सुरक्षा, घरेलू मजदूर के रूप में उनके अधिकार, एक ऐसा समूह बनाने की जरूरत जो उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करा सके और साथ ही उनके मालिकों के सामने विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के मुद्दे उठा सके; और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत।

इन मुद्दों की छानबीन करने के लिए हमने राजस्थानी और बंगाली, दोनों ही महिला मजदूरों का साक्षात्कार किया। नीचे हम इनके आधार पर तैयार की गई सात केस स्टडीज प्रस्तुत कर रहे हैं।

केस स्टडी–1

नाम – मंगला देवी
आयु: 35 वर्ष
रिहाइश: संजय नगर की कच्ची बस्ती

मंगला देवी का जन्म अजमेर जिले में हुआ और वहीं वह दस साल की उम्र तक रही। बाद में वह अपने पति के साथ जयपुर आ गई। वे यहां इसलिए आये क्योंकि खेती से इतना नहीं हो पाता था कि उनका पेट भर सके। गांव में वह अपने पति के साथ खेतों में काम करती थी। उसका पति पहले आया। जब उसको रोजगार और रहने की जगह मिल गई तब उसने उसे बुलाया। उसके सास–ससुर गांव में ही रहते हैं।

पिछले पांच सालों से वह अपने मकान में रह रही है। इस घर में आने से पहले उसका परिवार चार–पांच दूसरे घरों में रहा जो अलग–अलग बस्तियों में थे। शहर में रहने के कुछ समय बाद आर्थिक स्थिति ने उसे काम ढूंढने को मजबूर कर दिया। वह अपने पति के साथ निर्माण मजदूर के रूप में काम करने लगी। उसे रोज के 80 रु. मिलते थे। पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे काम का दूसरा कोई विकल्प ढूंढना पड़ा। उसने घरेलू कार्य को अपना लिया। उसके एक पड़ोसी ने उसे काम ढूंढने में मदद की। काम की शुरूआत हुई झाड़ू–पोंछे से। इसके बारे में वह कुछ जानती ही न थी क्योंकि शहरों में काम का ढंग गांव से कुछ अलग होता है। घर की मालकिन ने काम के बारे में समझाया और उसने काम सीख लिया। उसे उस समय मौजूद मजदूरी की दरों से कम मजदूरी मिलती थी। उसकी मजदूरी दो साल बाद जाकर बढ़ाई गई।

आज वह पांच सालों से काम कर रही है। झाड़ू–पोंछा, बर्तन धोना और धूल सफाई का काम। वह 1500 रु. प्रति माह कमाती है। आज स्थिति यह है कि वह घर का चुनाव मकान के आकार और परिवार के सदस्यों के हिसाब से करती है। उसका कहना है कि लोग पहले तो ज्यादा मजदूरी देने की बात करते हैं, पर जब मजदूरी देने की बात आती है तो वे कम पैसा देते हैं। पिछले पांच साल में एक ही बार उसका वेतन बढ़ा है।

जिन घरों में वह काम करती है वहां उसे चाय तक नहीं मिलती। उसे चाय तभी दी जाती है जब वह बीमार होती है। अधिकतर घरों में उसके लिए अलग बर्तन रखे जाते हैं। किसी भी घर में उसे शौचालय का उपयोग करने की इजाजत नहीं दी जाती। त्यौहारों के समय, और खासकर दीपावली के समय उसे साड़ी दी जाती है।

एक महीने में उसे दो दिन की छुट्टी मिलती है। अगर वह दो से अधिक दिन छुट्टी करती है तो उसका वेतन काट लिया जाता है। वह खुद नौकरी नहीं छोड़ती, पर जब वह गांव जाती है तो कई बार घर की मालकिन नई नौकरानी रख लेती है। ऐसे में गांव से लौटने पर उसके रिश्तेदार और पड़ोसी उसे नया काम ढूंढने में मदद करते हैं।

वह मारवाड़ी घरों में काम करना ही पसंद करती है; वह पंजाबी या सिंधी लोगों के घरों में काम नहीं करती। वह घर के पुरुषों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती। वह ऐसे घर में ही काम करना पसंद करती है जहां पति–पत्नी और बच्चे हों। घरेलू कामों में उसे सबसे ज्यादा नापसंद है – बर्तन धोने का काम।

वह घर से आते–जाते सड़क पर अन्य घरेलू महिला कामगारों से मिलती है और बातें करती है। वे अपने काम, अपने परिवारों और बच्चों के बारे में बात करते हैं। उसके विचार से बंगाली महिलाएं राजस्थानी महिलाओं की तुलना में अधिक फुर्ती से काम करती हैं और साथ ही उनसे अधिक नम्र भी होती हैं।

उसके तीन बच्चे हैं, एक 15 साल की लड़की और उससे छोटे दो लड़के। लड़की ने पांचवीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब वह घर का काम देखती है, जबकि मां काम पर जाती है। दोनों लड़के स्कूल जाते हैं। उसका मानना है कि शहर में उसका परिवार बेहतर स्थिति में रह रहा है। यहां रह कर वह और उसका पति कमा सकते हैं और बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं।

वह पांच बजे उठ कर अपनी बेटी के साथ घर के कुछ काम निबटाती है और नहाने और हल्का नाश्ता करने के बाद सात बजे काम पर निकल जाती है। दोपहर में वह एक घंटे के लिए घर आती है, पर कभी–कभी घरों में अतिरिक्त काम होने की वजह से नहीं भी आ पाती।

कानून और घरेलू कामगारों के संबंध में हमारे सवालों के उत्तर में उसका कहना था कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर कोई कानून तो होना ही चाहिए। मजदूरियां घंटे के आधार पर तय की जानी चाहिए और महीने में छुट्टी के कुछ निर्धारित दिन होने चाहिए।

केस स्टडी–2

नामः कांति देवी
आयुः 40 वर्ष
रिहाइशः संजय नगर की कच्ची बस्ती

उसका जन्म राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ था। वह इस शहर में अपने माता–पिता के साथ 20–25 साल पहले आई थी क्योंकि गांव में आजीविका कमाने के लिए पर्याप्त काम नहीं मिलता था। उसका परिवार गांव में खेतों पर काम करता था और वह भी काम में मदद करती थी। एक बार सूखा पड़ा और गांव में जीवन कठिन हो गया। इसके कारण परिवार को गांव छोड़ शहर आना पड़ा। जयपुर में

ही उसकी शादी हुई, पर वह शादी के बाद भी मां के साथ रहती है क्योंकि उसका कोई भाई नहीं है। उसके कोई बच्चे नहीं है। पंद्रह साल पहले इस बस्ती में आने से पूर्व वे दूसरे इलाकों में दो अन्य घरों में रह चुके हैं।

उसकी मां पहले निर्माण मजदूर के रूप में काम करती थी, पर धीरे–धीरे उसने घर का काम पकड़ लिया। कांति देवी अपनी मां के साथ काम पर जाती थी, पर शादी के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। हालांकि उसका पति निर्माण मजदूर है पर वह शराबी है और नियमित रूप से नहीं कमा पाता। अपने पति को शराब की लत और मां की बढ़ती उम्र ने कांति देवी को काम करने को मजबूर कर दिया। वह पिछले दस वर्ष से काम कर रही है और पांच घरों में काम करती हैं। उसके कामों में झाड़ू–पोछा, बर्तन धोना और कभी–कभी कपड़े धोना भी शामिल है। वह परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार मजदूरी मांगती है। हर चार–पांच साल में उसके वेतन में वृद्धि होती है।

होली और दिवाली के मौके पर उसे मिठाई दी जाती है। केवल एक ही घर से उसे साड़ी मिलती है, जबकि बाकी घरों में कुछ नहीं मिलता। त्यौहारों के मौके पर लोग उससे ज्यादा काम कराते हैं और इस अतिरिक्त काम के लिए कोई भुगतान भी नहीं किया जाता। उसके पास अपने घर की सफाई के लिए वक्त ही नहीं बचता और फिर सफाई रात को करनी पड़ती है।

किसी भी घर में उसे हर दिन चाय नहीं दी जाती। एक घर ही ऐसा है जहां उसे कभी–कभी चाय मिल जाती है। उसके इस्तेमाल के लिए एक अलग कप रखा होता है। किसी भी घर में उसे खाने को कुछ नहीं दिया जाता। वह यह मान कर चलती है कि किसी भी घर में उसे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।

महीने में वह चार दिन की छुट्टी करती है और अगर इससे ज्यादा करने पर उसके पैसे काट लिये जाते है। बीमारी की स्थिति में भी उसे थोड़ा–बहुत काम तो करना ही पड़ता है। अगर वह काम पर न जाए तो उसके पैसे कट जाते हैं और मालकिन की डांट–फटकार अलग से मिलती हैं। जब उसे लगता है कि उससे काम के अनुसार पैसे नहीं दिये जा रहे और मालकिन दुर्व्यवहार कर रही है तो वह काम छोड़ देती हैं। वह अपने रिश्तेदारों और घरेलू कामगारों की मदद से कोई नया घर ढूंढ लेती हैं वह अपने विस्तारित परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारो से इस बात को छिपाती नहीं है कि वह एक घरेलू कामगार है। काम के लिए जाते समय रास्ते में वह अन्य महिला कामगारों के साथ संपर्क बनाये रखती है।

वह ऐसे राजपूत परिवारों में काम करना पसंद करती है जिनमें बुजुर्ग महिलाएं होती है और उसे पुरुषों के संपर्क में करते समय नहीं आना पड़ता। उनके साथ बात करने में भाषा संबंधी दिक्कत भी नहीं आती। मालकिन अक्सर उसे अपने परिवार की चिंताओं और घटनाओं के बारे बताती है और वह भी उसे अपने परिवार की चिंताओं, समस्याओं के बारे में बताती है। उसने यह भी बताया कि जब घर में कोई चीज इधर–उधर हो जाती है तो घरेलू काममगार पर ही सबका शक जाता है। पर उसका कहना था परिवार के बच्चे और पुरुष उसके साथ ढंग से बात करते हैं, बच्चे उसे आंटी कह कर बुलाते हैं। क्या कभी घरों में काम करते समय उसके साथ छेड़खानी जैसी कोई घटना घटी है, इस सवाल के उत्तर में उसने बताया कि घर में एक बार मालकिन बाहर गई थी, तो घर में उसके पति ने उसे चाय बनाने को कहा और फिर कुछ 'गलत' बात कह डाली। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, पर इतना जरूर बताया कि इसके बाद उसने उस घर में काम करना बंद कर दिया।

वह छह बजे उठती है और अपने घर के काम निबटाती है। नहाने के बाद आठ बजे वह घर से निकल जाती है और दोपहर में घर लौट कर खाना बनाने और सफाई का काम करती है। उसकी मां भी उसकी मदद करती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद चार बजे वह फिर से काम पर निकल जाती है।

उसका कहना कि बड़ी संख्या में बंगाली महिलाओं के आ जाने से काम मिलना कठिन होता जा रहा है। अगर कोई राजस्थानी महिला किसी घर में काम करना बंद कर देती है तो तत्काल उसकी जगह बंगाली महिला कामगार ले लेती है। वे कम मजदूरी पर भी काम कर लेती हैं। उसका कहना है राजस्थानी महिलाओं के रोजगार के अवसर कम होते जा रहे है क्योंकि हर बंगाली और बिहारी महिला हर बार गांव से लौटते समय कुछ और महिला कामगार साथ में ले आती है।

घरेलू कामगारों के लिए कानून बनाने से संबंधित हमारे सवाल के उत्तर में उसका कहना था कि सरकारी नियमों के अनुसार घरेलू कामगारों को भी न्यूनतम वेतन, अवकाश और छुट्टियां मिलनी चाहिए और दिवाली पर बोनस दिया जाना चाहिए।

केस स्टडी – 3

नामः लाखी देवी
आयुः 55 वर्ष
रिहाइशः संजय नगर की कच्ची बस्ती

लाखी देवी के दादा–दादी और माता–पिता बांस गांव से जयपुर आये थे। उसका जन्म जयपुर में ही हुआ। काम की कमी और आर्थिक दिक्कतों की वजह से उन्हें गांव से पलायन करना पड़ा। परिवार आज भी उसी मकान में रहता है जिस मकान में गांव से आने के बाद रहता था। लाखी देवी का जन्म इसी मकान में हुआ है।

जब वह दस साल की थी तभी से उसने काम करना शुरू कर दिया था। शुरू में वह पूरे दिन के लिए एक कामकाजी महिला के घर पर काम करती थी जहां उसे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। उसने दूसरों को काम करते देख कर यह सीखा कि लोग अपने घरों की सफाई आदि कैसे करते हैं। कुछ सालों के बाद वह अंशकालिक घरेलू कामगार के रूप में काम करने लगी। यह कार्य वह दस वर्ष की आयु से करती आ रही है।

आज वह एक विधवा है जिसके पांच बच्चे हैं और उनका विवाह हो चुका है। उसने अपना पारिवारिक मकान अपने बेटे को दे दिया है क्योंकि वह अपने भाई के साथ रहती है। एक बार जब वह अपने भाई के घर गई तो उसने पाया कि उसकी भाभी बीमार है और घर का काम नहीं कर सकती। उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी भाभी की मदद करने वहीं रहेगी। अब वह उन्हीं के साथ रहती है क्योंकि भाई ज्यादा कुछ कमाता नहीं है। परिवार में नियमित आय उसे ही प्राप्त होती है। उसकी भाभी घर का काम संभालती है। उसका दिन 6 बजे सुबह शुरू होता है और रात 10 बजे जाकर वह सो पाती है।

इस समय वह 1500 रु. प्रति माह कमाती है। वह घर के काम को देखकर ही मजदूरी के लिए मोलभाव करती है। काम पकड़ते समय वह घर की मालकिन से साफ कहती है– "तुम पहले मेरा काम देख लो और फैसला करना कि मुझे आगे रखना चाहते हो या नहीं।"

होली पर उसे मिठाई दी जाती है और कुछ घरों में दिवाली के मौके पर साड़ी भी मिल जाती है। वह कहती है कि जब कोई मालकिन पुरानी साड़ी देती है तो वह उसे लौटा देती है और कहती है कि इससे बर्तन खरीद लेना (शहरों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन मिल जाते हैं)।

एक घर में उसे चाय मिलती है। चाय के लिए वह परिवार द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कप का ही इस्तेमाल करती है। किसी के घर में खाना उसे पसंद नहीं। घरों के लोग उसे अपने शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने देते। महीने में वह चार दिन छुट्टी करती है, हालांकि सभी लोग उसके दो दिन का वेतन काट लेते हैं। बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती, उलटे मजदूरी काट ली जाती है; और अगर वह लंबे समय तक बीमार पड़ गई तो काम से छुट्टी हो जाती है। अपनी लड़की की मृत्यु के समय (जो किस बीमारी से मरी यह वह बता नहीं पाती) ऐसा ही कटु अनुभव उसे हुआ था। उसने अपनी मालकिनों को कहला भेजा था कि वह पंद्रह दिन काम पर नहीं आएगी। जब वह छुट्टी के बाद काम पर लौटी तो उसे बताया गया कि काम के लिए एक अन्य महिला को रख लिया गया है, और यह कि वह पांच दिन की छुट्टी तो कर सकती है, पर पंद्रह दिन की नहीं। उसे उसी दिन तक के पैसे दिये गये जिस दिन तक उसने काम किया था।

जब मालकिन बात–बेबात तंग करती है और कम पैसे देती है तो वह काम छोड़ देती है। वह अन्य महिला कामगारों के जरिये काम ढूंढ़ती है। उनके साथ वह आते–जाते मिलतीं पर, लंबे समय तक बात करना उसे पसंद नहीं। महिला कामगार एक दूसरे से अक्सर पूछती रहती हैं कि क्या उनके पास पर्याप्त काम है या नहीं।

जिन घरों में वह काम करती है उनके बच्चे उसे आंटी कह कर बुलाते हैं। वह पुरुषों के साथ बात नहीं करती। मालकिन के बात करने के ढंग को लेकर उसे कोई शिकायत नहीं, वह तो अक्सर उसे अपने परिवार के बारे में बताती रहती है। वह मारवाड़ी परिवारों के लिए काम करना पसंद करती है और संयुक्त परिवारों में अपने को सुरक्षित पाती है। घर में कोई चीज इधर–उधर होने पर उसी से पूछा जाता है। घर के लोग घरेलू काममगार की ईमानदारी को जांचने के लिए सोना या नकद पैसा खुले में रखते हैं। ऐसे मौकों पर वह उनसे कहती हैं कि मैं गरीब जरूर हूं पर चोरी जैसी नीची हरकत नहीं करूंगी क्योंकि अपना आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है।

उसके विचार से बंगाली घरेलू कामगार महिलाएं राजस्थानी महिलाओं से अधिक कार्यक्षम हैं क्योंकि वे उनसे अधिक फुर्ती से काम करती है और उनसे अधिक शांत होती हैं।

उसके अनुसार घरेलू कामगारों को लेकर कानून बनना चाहिए जिसके अंतर्गत काम के घंटे, छुट्टी, अवकाश के दिन और न्यूनतम वेतन निर्धारित किये जाने चाहिए। उसके अनुसार जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें भी दिवाली पर बोनस मिलना चाहिए।

केस स्टडी – 4

नाम : अंजली
आयु : 30 वर्ष
रिहाइशः सीतारामपुरा बस्ती, पानी पेंच, जयपुर

6 साल पहले आर्थिक कठिनाइयों के कारण अंजली पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित अपने गांव से अपने पति और बच्चों के साथ जयपुर आई थी। वह दसवीं कक्षा तक पढ़ी है। उसका पति रिक्शा चालक का काम करता है। उसके दो बच्चे हैं – 13 साल की लड़की और 10 साल का लड़का। दोनों स्कूल जाते हैं और अपना ध्यान खुद रखते हैं, हालांकि खाना वही बनाती है।

अंजली के अनुसार यहां आने से पहले उसने शहर में जाकर काम करने का मन बना लिया था। अपनी अन्य महिला रिश्तेदारों को घरेलू कामगारों के रूप में काम करते देख अंजली ने सोचा वह भी यही काम करेगी। उसे अपना पहला काम एक रिश्तेदार महिला के माध्यम से मिला। उसे उसी घर में रह कर पूरा वक्त घर के सारे काम करने होते थे। उसका पति और बच्चे पास ही किराये के मकान में रहते थे और नियमित रूप उससे मिलते थे। उसकी मालकिन ने उसे काम का तरीका सिखाया और आज वह पांच घरों में काम करती है। उसके काम में झाड़ू–पोछा करना, सब्जी काटना, गेहूं साफ करना आदि शामिल है। उसका कहना था कि घर के सभी कामों में से बर्तन धोना उसे सबसे ज्यादा नापसंद है। वैसे तो उसे कोई भी काम पसंद नहीं, पर पैसे के लिए करना पड़ता हैं। वह 1800 रु. प्रतिमाह तक कमा लेती है। वह घर और परिवार के आकार को देखकर ही मजदूरी के लिए मोलभाव करती है।

हालांकि वह सभी क्षेत्रों में लोगों के घर में करती है, पर उसे मारवाड़ियों के घर में काम करना ज्यादा पसंद है क्योंकि पहला काम उसने मारवाड़ी परिवार का ही किया था और वह उनके काम के तरीकों से वाकिफ़ हैं। उसका कहना है जो महिला खुद कामकाजी होती है उसका व्यवहार घर पर रहनेवाली महिला से बेहतर होता है। घर पर रहनेवाली महिलाएं काम के दौरान अक्सर टोकती रहती हैं; उनके काम में नुक़्स ढूंढती हैं और गलत भाषा का इस्तेमाल करती हैं। घरों के बच्चे उसे आंटी कहते हैं और पुरुष अगर बात करते भी हैं तो शालीनता के साथ करते हैं। घर में कोई चीज इधर उधर हो जाय तो उससे पूछा जाता है और अक्सर शक भी किया जाता है। उसने बताया कि एक बार उसकी मालकिन ने उस पर एक कीमती चीज चुराने का शक किया, पर बाद में पता चला कि वह चीज उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पास थी। उसने उस परिवार के लिए काम करना बंद कर दिया।

वह सुबह पांच बजे उठती है और अपने घर का काम करने के बाद काम पर निकलती है। वह परिवार के लिए खाना बनाती है और एक बजे के करीब घर आकर नहाती है, खाना खाती है और बर्तन साफ करती है। दूसरी बार काम के लिए वह तीन बजे निकलती है और चार बजे घर लौट आती है। वह रात को दस बजे सोती है। उसे मनोरंजन आदि के लिए बाहर निकलने का समय नहीं मिलता, हालांकि कभी–कभी वह मंदिर जाती हैं। वह पार्क में अन्य घरेलू कामगारों से मिलती है जहां वे अपने कार्य, परिवार और बच्चों के बारे में बात करते हैं।

क्या बंगाली महिलाएं राजस्थानी महिलाओं द्वारा किये जाने वाले घरेलू काम पर कब्जा जमा रही हैं – इस प्रश्न के जवाब उसने बताया कि उसकी मालकिन भी यही कहती है कि बंगाली महिलाएं राजस्थानी महिलाओं से बेहतर काम करती हैं और वे अधिक घरों में काम कर सकती हैं। वे बात भी बड़ी नम्रता के साथ करती हैं।

उसके अनुसार उनके काम के संबंध में कोई कानून होना चाहिए – खास कर महीने में चार दिन के अवकाश, काम के घंटों आदि को लेकर। पर न्यूनतम वेतन के बारे में वह कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके अनुसार कई महिलाएं न्यूनतम वेतन से अधिक प्राप्त करती हैं।

केस स्टडी – 5

नाम : सोनाली
आयु : 30 वर्ष
निवास स्थान : बंगाली बस्ती, सुशीलपुरा, सोडाला

सोनाली के माता–पिता पश्चिम बंगाल से यहां आए थे। उसका जन्म यहीं जयपुर में हुआ। जब वह छोटी थी तभी उसकी मां गुजर गई थी। और उसने 10 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। वह उन्हीं घरों के लिए काम करती थी जिनके लिए उसकी मां किया करती थी। उसे याद नहीं कि शुरू में वह क्या काम करती थी, पर धीरे–धीरे उसने घर के सारे काम सीख लिये। उसके मालिक ने 18 वर्ष की होने पर उसकी शादी एक राजस्थानी आदमी से कराई थी। उसे काम के बदले पैसा नहीं मिलता था, जो भी पैसा उसने कमाया होगा, वही उसकी शादी पर खर्च किया गया। उसका मालिक उसे बस रहने की जगह और कपड़े देता था। पर वहां रहते हुए भी अन्य घरों में थोड़े समय के लिए काम करती थी, और इन घरों से प्राप्त पैसा उसने बचा कर रखा था।

शादी के बाद मालिक ने उसके पति और उससे वहीं रहने को कहा, पर उसका पति वहां नहीं रहना चाहता था। पर पैसे की दिक्कत के चलते उसे फिर से काम करना पड़ा क्योंकि उसका पति शराबी था। वह ड्राइवरी का काम करता था, पर उसके मालिक ने जब पाया कि वह शराबी है तो उसे नौकरी से निकाल दिया। वह निर्माण मजदूर से लेकर फैक्ट्री मजदूर तक कई काम पर चुका है और अब रिक्शा चलाता है।

सोनाली घर के आकार और परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार परिवारों का चयन करती है। वह वर्तमान घर में दो साल से काम कर रही है। इस घर में वह झाड़ू–पोछा, बर्तन धोने और कपड़े साफ करने का काम करती है। उसका कहना था कि उसे इनमें से कोई काम करना पसंद नहीं, पर "अगर मैं इसे काम के लिहाज से देखूं तो मुझे झाड़ू देने, धूल साफ करने, कपड़े धोने का काम ज्यादा ठीक लगता है। बर्तन साफ करने का काम नहीं।" इस समय वह 1800 रु. प्रतिमाह कमाती है। पिछले पांच सालों में उसकी मजदूरी मात्र 50 रु. बढ़ी है।

होली के मौके पर उसे मिठाइयां मिलती हैं और कुछ घरों में दिवाली के अवसर पर उसे साड़ी दी जाती है। कुछ घरों में चाय जरूर मिलती है, पर खाने को कोई भी नहीं देता। वह परिवार द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कप में ही चाय पीती है। कोई भी परिवार उसे अपने शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने देता। उसे महीने में दो दिन छुट्टी दी जाती और इससे ज्यादा छुट्टी करने पर उसकी तनख्वाह काट ली जाती हैं। उसके अनुसार उसे उस इलाके में काफी लोग जानते हैं, इसलिए उसके लिए काम ढूंढना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा वह काम भी अच्छा करती है। उसे काम के बारे में दूसरी महिला कामगारों से पता चलता है जिनसे वह पार्क में मिलती है। वे वहां साथ मिल कर दिन का खाना खाती हैं। वहां वे अपने परिवार, बच्चों और मालकिनों के बारे में बातें करती हैं।

संयुक्त परिवारों में काम करना ही उसे पसंद है क्योंकि वहां वह अपने को सुरक्षित पाती है; हालांकि छोटे यानी पति–पत्नी और बच्चे वाले परिवारों में ही ज्यादा काम मिलता है। उसका अनुभव बताता है कि महिला कामगारों के साथ संयुक्त परिवारों की महिलाओं का बर्ताव एकक परिवार की महिलाओं की तुलना में बेहतर होता है। कुछ परिवारों में तो उसे "परिवार का सदस्य" माना जाता है। घर के बच्चे उसे आंटी कह कर बुलाते हैं। पर अन्य घरेलू काममगारों की तरह उसने भी यह पाया कि जब घर की कोई मूल्यवान चीज गुम हो जाती है तो वे महिला काममगार पर ही शक करते हैं – चाहे उन्होंने वह चीज खुद ही इधर–उधर रख दी हो।

वह सुबह 5 बजे उठती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है और काम पर निकल जाती है। उसका 11 साल का लड़का और 9 साल की लड़की है। वह घर के कुछ काम सुबह निबटाती है और बाकी दोपहर में जब वह खाना खाने आती है। उसके बच्चे घर के कामों में उसकी मदद करते हैं। दस बजे जाकर वह सोती है।

उसके विचार से बंगाली महिलाएं न केवल मेहनती होती हैं, बल्कि उनका काम भी साफ़ होता हैं। यही वजह है कि कई घरों में राजस्थानी काममगार महिलाओं की जगह बंगाली काममगार महिलाओं को काम पर रखना बेहतर समझा जाता है। पर राजस्थानी काममगार महिलाओं अपने को बंगाली काममगार महिलाओं से बेहतर समझती हैं। बंगाली लोग जयपुर में केवल काम के लिए आये हैं– यही वजह है कि उसका रवैया, सोचने का ढंग और काम का तरीका अलग है।

उसे घरेलू काममगारों से संबंधित कानूनों की कोई जानकारी नहीं है।

केस स्टडी 6

नाम – उमा
आयु – 60 वर्ष
रिहाइश – बंगाली बस्ती सुशीलापुरा, सोडाला

उमा 20 साल पहले पश्चिम बंगाल से जयपुर आई थी। शादी के पांच साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके माता–पिता उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे, पर उसके अपने दो बच्चों को देखते हुए शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद उसने खेत मजदूर के रूप में काम किया, पर कुछ सालों बाद उसे लगा कि इससे गुजारा नहीं चल सकता। वह अपनी बुआ के बेटे के साथ जयपुर आ गई। गांव से आने से पहले ही उसने सोच लिया था कि शहर में उसे जो भी काम मिलेगा वह कर लेगी।

अपनी बुआ के बेटे और उसके परिवार के साथ रहते समय उसने देखा कि कई महिलाएं घरों में काम करती हैं। वह भी यहां घरेलू काममगार बन गई।

शुरू में जिस घर में वह काम करती थी उसकी मालकिन ने उसे घर का काम करना सिखाया। उसकी बुआ के लड़के ने उसे यह काम दिलाया था। उसकी तनख्वाह कम थी, पर बच्चों को उसने साथ ही रखा। उसने फैसला किया कि वह परिवार के सदस्यों के हिसाब से काम पकड़ेगी और वेतन तय कराएगी। वह पिछले तीन सालों से तीन घरों में काम कर रही है। उसका काम है बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना और घर के लान में पानी देना। उसके वेतन में हर पांच साल 100 रु. की वृद्धि की जाती है।

एक घर की मालकिन उसे हर रोज चाय देती है और कभी–कभी कुछ नाश्ते के लिए भी दे देती है। उसके लिए अलग से बर्तन नहीं हैं। पर उसे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। उसके हिसाब से यह एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे होली पर मिठाई और दिवाली पर साड़ी मिलती है।

कोई भी ऐसा घर नहीं रहा जिसकी मालकिन ने उसे काम से निकाला हो; उसका काम इसलिए छूट जाता था कि जिन परिवारों में वह काम करती थी वे दूसरी जगहों पर चले जाते थे। वह संयुक्त परिवारों के लिए ही काम करना पसंद करती है – खासकर जहां बुजुर्ग महिलाएं हों। उसे उनसे बात करना पसंद है।

कई बार ऐसे भी मौके आए हैं जब घर के मालिक या मालकिन का व्यवहार उसे पसंद नहीं आया, पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उसके मुताबिक यह "काम का ही हिस्सा है। मैं तो अपने काम को नौकरी की तरह लेती हूं।" वह घर लौटते समय अन्य घरेलू कामगार महिलाओं से मिलती है और उनके साथ केवल पारिवारिक मामलों के बारे में बात करती है, अपने काम से जुड़ी बातें नहीं करती।

सुबह पांच बजे उठ कर वह घर का कुछ काम निबटाती है और छह बजे अपने काम पर निकल जाती है। काम के बाद वह फिर घर आकर कुछ काम निबटाती है और फिर काम पर चली जाती है। नौ बजे जाकर वह सोती है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह मनोरंजन के लिए कुछ समय निकाल पाती है, उसने कहा, "पिछले साठ सालों में एक बार भी मेरे मन में यह विचार न आया कि मैं मनोरंजन करने या फिल्म देखने जाऊं। कभी–कभी मैं मंदिर जरूर जाती हूं।"

उसके विचार से बंगाली महिलाएं न केवल मेहनती हैं, बल्कि जल्दी–जल्दी काम निबटा देती हैं। वे अपने घर को साफ रखती हैं, इसलिए सफाई की उनकी रगों में रची–बसी है। पर राजस्थानी महिलाएं मजबूरी में यह काम करती हैं और अपने रिश्तेदारों से भी यह बात छिपाती हैं कि वे घरेलू कामगार है। वे काम भी धीरे–धीरे करती हैं और इसलिए बंगाली महिलाओं की तुलना में कम घरों में ही काम कर पाती हैं।

उसे यह नहीं मालूम कि घरेलू काम को लेकर कोई कानून मौजूद है भी या नहीं है। उसके विचार से ऐसा कानून होना चाहिए जो काम के घंटे और वेतन तय करे और उनके शोषण को रोके।

केस स्टडी–7

नामः पूजा
उम्रः 40 वर्ष
रिहाइशः प्रेम कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर

उसके माता–पिता करीब 50 साल पहले बंगाल से जयपुर आये थे। वह इसी शहर में पैदा हुई। पहले वह अपनी मां के साथ घरों में काम करने जाया करती थी, फिर धीरे–धीरे उसने भी काम सीख लिया। घर में पैसे की दिक्कत थी, इसलिए उसके माता–पिता ने उसके लिए एक काम ढूंढा। काम था – एक छोटे बच्चे की देखभाल करना। उसके अनुसार यह बहुत ही कठिन कार्य था क्योंकि, "किसी दूसरे के बच्चे की देखभाल करना बहुत ही कठिन होता है।"

उसकी शादी जयपुर में ही एक बंगाली व्यक्ति के साथ हुई और आज उसके दो बच्चे हैं। उसकी 15 साल की बेटी की शादी हो चुकी है। उसका बेटा 18 साल का है। उसका बेटा और पति निर्माण

मजदूर का काम करते हैं। कुछ साल पहले ही उसके बेटे ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, क्योंकि पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी।

अब वह चार घरों में काम करती है। वह कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और झाड़ू–पोछा करने का काम करती है। काम के लिए परिवार का चुनाव वह परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर करती है। वह 1700 रुपए प्रतिमाह कमाती है। वह काम तभी छोड़ती है जब उसकी मजदूरी काम की मात्रा के अनुसार नहीं होती। उसके अनुसार नया काम ढूंढना मुश्किल नहीं होता।

उसे घरों में कभी–कभी चाय–नाश्ता मिल जाता है। उसकी चाय का कप अलग रखा जाता है। किसी भी घर में उसे शौचालय का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। एक महीने में वह तीन बार छुट्टी करती है और इससे ज्यादा छुट्टी करने पर उसके पैसे काट लिये जाते हैं।

हालांकि वह सभी प्रकार के परिवारों के लिए काम करती है, पर वह ऐसे परिवारों के लिए ही काम करना पसंद करती है जिनमें केवल पति–पत्नी या बच्चे हों (जो न्यूक्लियर परिवार हो)। घर के बच्चे उसे 'आंटी' कह कर बुलाते हैं। उसका कहना है कि किसी कीमती चीज के खोने पर घर के लोग या उसकी मालकिन या मालिक उस पर ही शक करते हैं। हालांकि उसके अनुसार अभी तक उस पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

वह पांच बजे ही उठ जाते हैं। बच्चों के लिए चाय–नाश्ता तैयार करने के बाद वह काम पर चल पड़ती है। रात दस बजे ही उसे सोने का मौका मिलता है। वह कभी–कभी मंदिर जाती है और अपने रिश्तेदारों से मिलती है।

उसके विचार से राजस्थानी और बंगाली महिलाओं के रवैये में काफी अंतर है; राजस्थानी महिलाएं चिड़चिड़ी होती हैं और काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे मजबूरी में यह काम करती हैं और उनका चिड़चिड़ा व्यवहार इसी का नतीजा है। दूसरी ओर बंगाली महिलाएं नम्र व कार्यक्षम होती हैं, सफाई से काम करती हैं और अपने काम को 'काम' के रूप में लेती हैं।

घरेलू कामगारों को लेकर कानून बनाने के संबंध में पूछे गये एक सवाल के उत्तर में उसने कहा कि इन कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाना चाहिए – जिसके अंतर्गत काम के घंटों, वेतन और छुट्टी के दिनों को निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर झगड़ा छुट्टी को लेकर होता है। घर की मालकिनें एक दिन की छुट्टी तक देने को तैयार नहीं होतीं।

निष्कर्ष

सर्वेक्षण और साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़े साफ तौर पर यह दर्शाते हैं कि घरेलू कार्य का रूप संगठन की दृष्टि से उच्च रूप से अनौपचारिक है। यह समाज के निर्धन और अशिक्षित तबकों से आने वाले घरेलू कामगारों की असुरक्षाओं और जोखिमों को उजागर करता है। घरेलू कार्य के क्षेत्र में वेतन–निर्धारण (साप्ताहिक अवकाश या वार्षिक छुट्टियों का ढांचा) और कार्य स्थितियों के लिए कोई नियम–कायदे नहीं हैं। सच पूछा जाए तो घरेलू कामगार या 'डोमेस्टिक वर्कर' शब्दों का इस्तेमाल कम ही किया जाता है और इसकी बजाय उनके लिए मेड, काम वाली, नौकरानी जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता

है जो उन्हें कामगार का दर्जा नहीं देता। अनेक मामलों में इन कामगारों के साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाता है, पर यह पूरी तरह से घर के मालिकों की मर्जी पर निर्भर होता है। अपने वर्तमान रूप में घरेलू कार्य दो पक्षों के बीच अनुबंध नहीं है, बल्कि एक अनौपचारिक संबंध है और महिला कामगार अपनी बात को कहां तक मनवा पाती हैं – यह घर के मालिकों की इच्छा पर निर्भर होती है।

दूसरे, कार्यस्थल घर ही होता है, जिससे महिला कामगार की असुरक्षा बढ़ जाती है और इस कार्य के अनौपचारिक रूप में ही वृद्धि होती है। क्योंकि घर कोई औपचारिक कार्य–स्थल नहीं है और महिलाओं को अलग–अलग घरों में काम करना पड़ता है, इसलिए औपचारिक कामगार के रूप में अपने अधिकारों की मांग कर पाना उनके लिए कठिन होता है।

इसके अलावा, क्योंकि समाज में घरेलू कार्य को निम्न महत्व दिया जाता है, इसलिए सामाजिक ढांचे में इन महिलाओं की स्थिति काफी निम्न होती है। अन्य अनौपचारिक कार्यों की तरह इस कार्य में भी कामगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका कारण गांवों से शहरों की ओर और इस मामले में तो पश्चिम बंगाल जैसे दूर के राज्य से पलायन का बढ़ना है जिससे कामगारों के बीच तनाव पैदा हो रहा है। नौकरियों की क्षति, बीमारी, मातृत्व अवकाश वृद्धावस्था, पेंशन जैसे मामलों में कामगारों को कोई सहायता तंत्र उपलब्ध नहीं है।

अंशकालिक घरेलू कामगारों की कार्य और जीवन स्थितियों की गहन जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया यह अध्ययन जयपुर में उन्हें संगठित करने और अपने कार्य की शर्तों और स्थितियों के लिए मोलभाव करने में उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में पहला कदम है। जब घरेलू कार्य को कार्य के दायरे में लाया जाएगा और एक अनुबंध के रूप में देखा जाएगा, तभी घरेलू कामगार अपने अधिकारों के लिए मोलभाव कर सकते हैं। इन्हें लामबंद करना एक जटिल और दीर्घकालिक काम है। शुरू में इन कामगारों के कौशलों को उन्नत करना होगा और काम के प्रति उनमें अधिक पेशेवर नजरिया विकसित करना होगा। आत्म सम्मान में कमी की इस स्थिति को तभी बदला जा सकता है जब वे अपने कार्य का महत्व समझेंगे और यह मानेंगे कि उन्हें न केवल अपने समय को, बल्कि नियोक्ताओं के समय को भी महत्व देना है। इसमें वेतन ढांचा, कार्य की शर्तें और स्थितियां, अवकाश का ढांचा और काम से गैर–हाजिरी जैसे मुद्दों को हल करना शामिल है। इसके अलावा उनमें एकजुटता की भावना भी होनी चाहिए ताकि वे दुर्व्यवहार और निम्न मजदूरी की समस्या को चुनौती दे सकें। पर यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि एकजुटता उन महिलाओं के लिए शायद ज्यादा महत्व न रखे जिन्हें अपने निर्धन परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य कामगारों द्वारा दिलाये गए ऐसे घरों में काम करना पड़ता है जो उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं और उन्हें कम पैसा देते हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम होगा नियोक्ताओं के साथ कामगारों के अधिकारों को लेकर विचार–विमर्श करना और सरकार को इस बात के लिए मनवाना कि वह इन घरेलू कामगारों को कामगार या श्रमिक का दर्जा दे और उनके अधिकारों को कानून के दायरे में लाए। सरकार को वेतन, कार्य घंटों, सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन निर्धारित करने के तरीकों पर विचार करना होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों को कानूनों के दायरे में लाने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। सभी राज्यों को यौन शोषण और दुराचार के खिलाफ कठोर कानूनों सहित सभी घरेलू कामगारों के लिए नौकरी की सुरक्षा और सुरक्षित कार्य–स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। तभी, और केवल तभी घरेलू कामगार और नियोक्ता के बीच के संबंध व्यक्तिगत संबंध न रह कर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच के संबंध बनेंगे और कर्मचारी गरिमा और सुरक्षा के साथ काम कर पाएगा।

घरेलु कामगारों के साथ सघन समुह परिचर्चा

घरेलु कामगारों के साथ अनौपचारिक बैठक

घरेलु कामगार और उनके परिवार के सदस्यों के साथ सघन समुह परिचर्चा

सुशिलपुरा की एक झलक

बी–114, शिवालिक, मालवीय नगर
नई दिल्ली–110017
दूरभाष : 91–11–26691219, 26691220
टेली फेक्स : 91–11–26691221
ई–मेल : jagori@jagori.org
वेबसाइट : www.jagori.com